From,

Gyanender Singh Yadav,
Special Judge N.D.P.S. Act/
Addl. Distrit & Sessions Judge,
Moradabad.

To,

The Registrar General,
Hon'ble High Court Of Judicature at
Allahabad.

Through,

The District Judge,
Moradabad.

Subject:- Submission of property statement (movable & Immovable) financial year 2018-2020.

Respected Sir,

It is most respectfully submitted that I am submitting my property statement with respect to movable and immovable properties held by me in financial year 2018-2020 as attached annexures for kind persual for the Hon'ble Court.

With due regards.

Date- 06-01-2022 Sincerely,

Enclosures- as above

(Gyanender Singh Yadav)
Special Judge N.D.P.S. Act,
Addl. District & Sessions Judge
Court No.-7, Moradabad.

Office District Judge, Moradabad

No. /2022(Admin.), Moradabad, dated:- January,2022

Forwarded to the Registrar General, Hon'ble HighCourt of Judicature at Allahabad.

District Judge,
Moradabad

विशेष न्यायाधीश, एन0डी0पी0एस0 एक्ट/
अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0–7,
मुरादाबाद

चतुर्थ त्रैमासिक निरीक्षण

दिनांक 01.10.2021 से दिनांक 31.12.2021

सेवा में,

श्रीमान महानिबंधक,

माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद।

विषय— विवादित संपत्ति के संबंध में खाते में प्राप्त धनराशि के संदर्भ में।

महोदय,

माननीय महोदय को सादर अवगत कराना है कि मेरी माता स्वर्गीय श्रीमती ऊर्मिला देवी के नाम पर एक मकान खसरा नं0—14 मि0 ग्राम मौहम्मदपुर धेदा, परगना जलालाबाद, त0 मोदीनगर, जिला गाजियाबाद में स्थित था, जिसके बावत मेरे रिश्तेदार श्रीमती ऊषा यादव के मध्य लेकर विवाद चल रहा था और उस मकान के परिप्रेक्ष्य में श्रीमती ऊषा यादव द्वारा मूलवाद सं0 695/2014, श्रीमती ऊषा देवी बनाम ज्ञानेन्द्र सिंह यादव, न्यायालय सिविल जज सी0डि0, गाजियाबाद में संस्थित किया था और दौराने विचारण मेरे और श्रीमती ऊषा यादव के मध्य दिनांक 16.04.2019 को समझौता हो गया था। समझौते के अनुसार उपरोक्त मकान मेरे द्वारा श्रीमती ऊषा यादव के पक्ष में छोड़ दिया गया और अपने भाग के परिप्रेक्ष्य में मु0 15,00,000/— रूपये श्रीमती ऊषा यादव ने अपने पति श्री कृष्णपाल यादव के खाते से दिनांक 15.04.2019 को बजरिये एन0ई0एफ0टी0 नं0 पी19041528715680 बैंक ट्रेड टैक्स बिल्डिंग, राजनगर, शाखा गाजियाबाद से मेरे खाता सं0 11120779688 एस0बी0आई0 बैंक शाखा अलीगढ़ में अंतरित कर दिये थे और उपरोक्त वाद न्यायालय द्वारा डिक्री कर दिया गया। इस वाद के बाद उभय पक्षों के मध्य इस संपत्ति को लेकर अब कोई विवाद नहीं है और उपरोक्त धनराशि में से मु0 12,00,000/— रूपये मेरे द्वारा अपनी पत्नी श्रीमती शिखा यादव के खाता सं0 30363824829 एस0बी0आई0 बैंक, बिसौली, बंदायू में दिनांक 14.03.2020 को अंतरित कर दिये गये थे।

सूचनार्थ माननीय महोदय की सेवा में सादर प्रेषित।

दिनॉकः 06.01.2022

(**ज्ञानेन्द्र सिंह यादव**)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कक्ष सं0 7, मुरादाबाद।

संलग्नक—

1. डिक्री व समझौतानामा की छायाप्रति।

2. बैंक स्टेटमेन्ट की छायाप्रति।

प्रेषक,

ज्ञानेन्द्र सिंह यादव
अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश,
कक्ष सं0–7, मुरादाबाद।

सेवा में,

श्रीमान महानिबंधक,
माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद।

द्वारा,

माननीय जनपद न्यायाधीश,
मुरादाबाद।

विषय– विवादित संपत्ति के संबंध में खाते में प्राप्त धनराशि के संदर्भ में।

महोदय,

माननीय महोदय को सादर अवगत कराना है कि मेरी माता स्वर्गीय श्रीमती ऊर्मिला देवी के नाम पर एक मकान खसरा नं0–14 मि0 ग्राम मौहम्मदपुर धेदा, परगना जलालाबाद, त0 मोदीनगर, जिला गाजियाबाद में स्थित था, जिसके बावत मेरे रिश्तेदार श्रीमती ऊषा यादव के मध्य लेकर विवाद चल रहा था और उस मकान के परिप्रेक्ष्य में श्रीमती ऊषा यादव द्वारा मूलवाद सं0 695/2014, श्रीमती ऊषा देवी बनाम ज्ञानेन्द्र सिंह यादव, न्यायालय सिविल जज सी0डि0, गाजियाबाद में संस्थित किया था और दौराने विचारण मेरे और श्रीमती ऊषा यादव के मध्य दिनांक 16.04.2019 को समझौता हो गया था। समझौते के अनुसार उपरोक्त मकान मेरे द्वारा श्रीमती ऊषा यादव के पक्ष में छोड़ दिया गया और अपने भाग के परिप्रेक्ष्य में मु0 15,00,000/– रूपये श्रीमती ऊषा यादव ने अपने पति श्री कृष्णपाल यादव के खाते से दिनांक 15.04.2019 को बजरिये एन0ई0एफ0टी0 नं0 पी19041528715680 बैंक ट्रेड टैक्स बिल्डिंग, राजनगर, शाखा गाजियाबाद से मेरे खाता सं0 11120779688 एस0बी0आई0 बैंक शाखा अलीगढ़ में अंतरित कर दिये थे और उपरोक्त वाद न्यायालय द्वारा डिक्री कर दिया गया। इस वाद के बाद उभय पक्षों के मध्य इस संपत्ति को लेकर अब कोई विवाद नहीं है और उपरोक्त धनराशि में से मु0 12,00,000/– रूपये मेरे द्वारा अपनी पत्नी श्रीमती शिखा यादव के खाता सं0 30363824829 एस0बी0आई0 बैंक, बिसौली, बंदायू में दिनांक 14.03.2020 को अंतरित कर दिये गये थे।

सूचनार्थ माननीय महोदय की सेवा में सादर प्रेषित।

दिनॉकः 01.01.2022

(ज्ञानेन्द्र सिंह यादव)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कक्ष सं0 7, मुरादाबाद।

संलग्नक–

1. मूलवाद की छायाप्रति।
2. डिक्री व समझौतानामा की छायाप्रति।
3. बैंक स्टेटमेन्ट की छायाप्रति।

कार्यालय जनपद न्यायाधीश, जनपद न्यायालय मुरादाबाद।

पत्रांक दिनांक–

सेवा में,

श्रीमान महानिबंधक
माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद को सादर अग्रसारित।

जनपद न्यायाधीश,

मुरादाबाद।

सजायावी वारण्ट

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-7, मुरादाबाद
पीठासीन अधिकारी- (ज्ञानेन्द्र सिंह यादव), (उच्चतर न्यायिक सेवा) - **UP06237**

सेशन केस सं0— 600 / 2020

सरकार——————बनाम———————शाने आलम पुत्र महबूब अली,
निवासी—कोहिनूर फर्मा के पीछे,
कोहिनूर तिराहा
कटघर, मुरादाबाद।

मुकदमा अपराध संख्या—314 / 2020
धारा—8 / 20 एन0डी0पी0एस0एक्ट
थाना— मझोला, मुरादाबाद।

निर्णय

दण्ड आदेश

दोषसिद्ध शाने आलम को धारा 8 / 20 एन0डी0पी0एस0एक्ट के आरोप में दोषी पाते हुये एक वर्ष आठ माह के कारावास एवं पांच हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर उसे एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

अभियुक्त द्वारा इस प्रकरण में कारागार में व्यतीत की गयी अवधि सजा की अवधि में समायोजित की जायेगी।

दिनांक :—22.12.2021

(ज्ञानेन्द्र सिंह यादव)
विशेष न्यायाधीश
(एन0डी0पी0एस0एक्ट) / अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या—7,
मुरादाबाद।

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0–7, मुरादाबाद।

नोटिस

थानाध्यक्ष,
थाना ठाकुरद्वारा,
मुरादाबाद।

इस न्यायालय में विशेष सत्र परीक्षण सं0–1266/2010, अ0सं0 664/2009 तथा सत्र परीक्षण सं0– 963/2011, अ0सं0 664ए/2009 लंबित है। उक्त दोनों सत्र परीक्षणों के संबंध में आपको आदेशित किया जाता है कि उक्त दोनों सत्र परीक्षण से संबंधित माल मुकदमा दिनांक 27.01.2022 को न्यायालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

दिनॉकः 21.12.2021

(**ज्ञानेन्द्र सिंह यादव**)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कक्ष सं0 7,
मुरादाबाद।

प्रेषित,

जेल अधीक्षक,

जिला कारागार, मुरादाबाद।

विषय– सत्र परीक्षण सं0 1445/2016, अ0सं0 598/2016 के संबंध में।

महोदय,

आपको अवगत कराना है कि सत्र परीक्षण सं0–1445/2016, अ0सं0 598/2016 अंतर्गत धारा 302/34, 394/34, 411 भा0दं0सं0, थाना संभल, राज्य बनाम भूरा उर्फ कुन्जा आदि की पत्रावली इस न्यायालय में लंबित है। उक्त पत्रावली में **माननीय उच्च न्यायालय द्वारा शीघ्र निस्तारण हेतू दिशा–निर्देश** प्राप्त है। उक्त सत्र परीक्षण में अभियुक्त आसिफ, जिला कारागार बिजनौर में निरूद्ध है। पूर्व

में प्रशासनिक आदेश द्वारा अभियुक्त आसिफ को जिला कारागार, मुरादाबाद से जिला कारागार, बिजनौर स्थानांतरित किया गया था। उक्त पत्रावली वर्तमान में बहस के स्तर पर लंबित है और बहस के दौरान उक्त अभियुक्त की न्यायालय में उपस्थिति अनिवार्य है, परंतु अभियुक्त आसिफ के न्यायालय में नियत तिथि पर नियमित रूप से उपस्थित न होने के कारण पत्रावली के निस्तारण में अवांछित विलम्ब कारित हो रहा है।

अतः उक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए उक्त पत्रावली में निर्णय होने की अवधि तक अभियुक्त आसिफ को जिला कारागार, मुरादाबाद में रोका जाता है। आपको आदेशित किया जाता है कि आप अभियुक्त आसिफ को अपनी अभिरक्षा में लें।

दिनॉकः 22.12.2021 **(ज्ञानेन्द्र सिंह यादव)**
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कक्ष सं0 7,
मुरादाबाद।

1. प्रतिलिपि जेल अधीक्षक, जिला कारागार बिजनौर को सूचनार्थ प्रेषित।

दिनॉकः 22.12.2021 **(ज्ञानेन्द्र सिंह यादव)**
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कक्ष सं0 7,
मुरादाबाद।

प्रेषित,

जिलाधिकारी,

जिला मुरादाबाद।

विषय– <u>सत्र परीक्षण सं0 1445/2016, अ0सं0 598/2016 के संबंध में।</u>

महोदय,

आपको अवगत कराना है कि सत्र परीक्षण सं0–1445/2016, अ0सं0 598/2016 अंतर्गत धारा 302/34, 394/34, 411 भा0दं0सं0, थाना संभल, राज्य बनाम भूरा उर्फ कुन्जा आदि की पत्रावली इस न्यायालय में लंबित है। उक्त पत्रावली में **माननीय उच्च न्यायालय द्वारा शीघ्र निस्तारण हेतू दिशा–निर्देश** प्राप्त है। उक्त सत्र परीक्षण में अभियुक्त आसिफ, जिला कारागार बिजनौर तथा अभियुक्त भूरा उर्फ कुंजा जिला कारागार रामपुर में निरूद्ध है। उक्त पत्रावली वर्तमान में बहस के स्तर पर लंबित है और बहस के दौरान उक्त दोनों अभियुक्तों की न्यायालय में उपस्थिति अनिवार्य है।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप उक्त सत्र परीक्षण में निर्णय की अवधि तक अभियुक्त आसिफ तथा अभियुक्त भूरा उर्फ कुंजा को जिला कारागार मुरादाबाद में ही रोकने के लिए नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें।

दिनॉकः 21.12.2021 **(ज्ञानेन्द्र सिंह यादव)**
अपर जिला एवं सत्र
न्यायाधीश
कक्ष सं0 7,
मुरादाबाद।

प्रतिलिपि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद को उक्त संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित।

दिनॉकः 21.12.2021 **(ज्ञानेन्द्र सिंह यादव)**
अपर जिला एवं सत्र
न्यायाधीश
कक्ष सं0 7,

मुरादाबाद।

सजायावी वारण्ट

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-7, मुरादाबाद
पीठासीन अधिकारी- (ज्ञानेन्द्र सिंह यादव), (उच्चतर न्यायिक सेवा) - **UP06237**

<u>सेशन केस सं0– 753/2021</u>

सरकार––––––बनाम––––––– आरिफ उर्फ लम्बू पुत्र खलील उर्फ खालिद

निवासी– मौ0 बरवलान, थाना–मुगलपुरा।

<u>मुकदमा अपराध</u>

संख्या–115/2021

धारा 8/20 एन0डी0पी0एस0एक्ट

थाना– मुगलपुरा, मुरादाबाद।

निर्णय

दोषसिद्ध आरिफ उर्फ लम्बू को धारा 27 एन0डी0पी0एस0एक्ट के आरोप में दोषी पाते हुये छः माह के कारावास एवं पांच हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर उसे एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

अभियुक्त द्वारा इस प्रकरण में कारागार में व्यतीत की गयी अवधि सजा की अवधि में समायोजित की जायेगी।

दिनांक :–16.12.2021

(ज्ञानेन्द्र सिंह यादव)

विशेष न्यायाधीश (एन0डी0पी0एस0एक्ट)/

अपर सत्र न्यायाधीश,कक्ष संख्या–7,

मुरादाबाद।

सजायावी वारण्ट

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-7, मुरादाबाद
पीठासीन अधिकारी- (ज्ञानेन्द्र सिंह यादव), (उच्चतर न्यायिक सेवा) -
UP06237

सेशन केस सं0— 528/2017

सरकार————————बनाम——————आरिफ उर्फ लम्बू पुत्र खलील उर्फ खालिद

निवासी— मौ0 बरवलान, थाना—मुगलपुरा।

मुकदमा अपराध संख्या—272/2017

धारा 8/20 एन0डी0पी0एस0एक्ट

थाना— मुगलपुरा, मुरादाबाद।

निर्णय

दोषसिद्ध आरिफ उर्फ लम्बू को धारा 27 एन0डी0पी0एस0एक्ट के आरोप में दोषी पाते हुये छः माह के कारावास एवं पांच हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर उसे एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

अभियुक्त द्वारा इस प्रकरण में कारागार में व्यतीत की गयी अवधि सजा की अवधि में समायोजित की जायेगी।

दिनांक :—16.12.2021

(ज्ञानेन्द्र सिंह यादव)
विशेष न्यायाधीश (एन0डी0पी0एस0एक्ट)/
अपर सत्र न्यायाधीश,कक्ष संख्या—7,
मुरादाबाद।

सजायावी वारण्ट

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-7, मुरादाबाद
पीठासीन अधिकारी- (ज्ञानेन्द्र सिंह यादव), (उच्चतर न्यायिक सेवा) - **UP06237**

सेशन केस सं0– 1289/2020

सरकार–––––––बनाम––––––––– नदीम उर्फ शेरू पुत्र हनीफ,
निवासी– मोती मस्जिद, इस्लामनगर,
थाना–कटघर, जिला मुरादाबाद।

मुकदमा अपराध संख्या–1008/2020

धारा 8/20 एन0डी0पी0एस0एक्ट
थाना– मझोला मुरादाबाद।

निर्णय

दोषसिद्ध नदीम उर्फ शेरू को धारा 8/20 एन0डी0पी0एस0एक्ट के आरोप में दोषी पाते हुये एक वर्ष चार माह के कारावास एवं पांच हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर उसे एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

अभियुक्त द्वारा इस प्रकरण में कारागार में व्यतीत की गयी अवधि सजा की अवधि में समायोजित की जायेगी।

दिनांक :–16.12.2021 **(ज्ञानेन्द्र सिंह यादव)**

विशेष न्यायाधीश (एन0डी0पी0एस0एक्ट)/
अपर सत्र न्यायाधीश,कक्ष संख्या–7,
मुरादाबाद।

प्रेषित,

जेल अधीक्षक,

जिला कारागार,

रामपुर।

विषय– अभियुक्त भूरा उर्फ कुंजा को जिला कारागार रामपुर से नियत दिनांक को न्यायालय उपस्थित किये जाने हेतू।

महोदय,

उपरोक्त सम्बन्ध में आपको अवगत कराना है कि सत्र परीक्षण सं0–1445/2016, अंतर्गत धारा 302 भा0दं0सं0, थाना संभल, राज्य बनाम भूरा उर्फ कुन्जा आदि की पत्रावली इस न्यायालय में लंबित है। उक्त पत्रावली में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा शीघ्र निस्तारण हेतू दिशा–निर्देश प्राप्त है। उक्त सत्र परीक्षण का अभियुक्त भूरा उर्फ कुन्जा, जिला कारागार रामपुर में निरूद्ध है। पत्रावली वर्तमान में बहस के स्तर पर लंबित है। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार पत्रावली के शीघ्र निस्तारण हेतू अभियुक्त की नियत दिनांक को न्यायालय में उपस्थिति अनिवार्य है।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप उक्त सत्र परीक्षण में अभियुक्त भूरा उर्फ कुन्जा को नियत दिनांक 22.12.2021 को न्यायालय में अनिवार्य रूप से उपस्थित कराना सुनिश्चित करें।

दिनॉकः 16.12.2021

(ज्ञानेन्द्र सिंह यादव)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कक्ष सं0 7,
मुरादाबाद।

प्रेषित,

जेल अधीक्षक,

जिला कारागार,

बिजनौर।

विषय– <u>अभियुक्त आसिफ को जिला कारागार बिजनौर से नियत दिनांक को न्यायालय उपस्थित किये जाने हेतू।</u>

महोदय,

उपरोक्त सम्बन्ध में आपको अवगत कराना है कि सत्र परीक्षण सं0–1445/2016, अंतर्गत धारा 302 भा0दं0सं0, थाना संभल, राज्य बनाम भूरा उर्फ कुन्जा आदि की पत्रावली इस न्यायालय में लंबित है। उक्त पत्रावली में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा शीघ्र निस्तारण हेतू दिशा–निर्देश प्राप्त है। उक्त सत्र परीक्षण का अभियुक्त आसिफ, जिला कारागार बिजनौर में निरूद्ध है। पत्रावली वर्तमान में बहस के स्तर पर लंबित है। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार पत्रावली के शीघ्र निस्तारण हेतू अभियुक्त की नियत दिनांक को न्यायालय में उपस्थिति अनिवार्य है।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप उक्त सत्र परीक्षण में अभियुक्त आसिफ को नियत दिनांक 22.12.2021 को न्यायालय में अनिवार्य रूप से उपस्थित कराना सुनिश्चित करें।

दिनॉकः 16.12.2021

(ज्ञानेन्द्र सिंह यादव)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कक्ष सं0 7,
मुरादाबाद।

प्रेषित,

जेल अधीक्षक,

जिला कारागार,

बिजनौर।

विषय– अभियुक्त आसिफ को जिला कारागार बिजनौर से नियत दिनांक को न्यायालय उपस्थित किये जाने हेतू।

महोदय,

उपरोक्त सम्बन्ध में आपको अवगत कराना है कि सत्र परीक्षण सं0–1445/2016, अंतर्गत धारा 302 भा0दं0सं0, थाना संभल, राज्य बनाम भूरा उर्फ कुन्जा आदि की पत्रावली इस न्यायालय में लंबित है। उक्त पत्रावली में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा शीघ्र निस्तारण हेतू दिशा–निर्देश प्राप्त है। उक्त सत्र परीक्षण का अभियुक्त आसिफ, जिला कारागार बिजनौर में निरूद्ध है। पत्रावली वर्तमान में बहस के स्तर पर लंबित है। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार पत्रावली के शीघ्र निस्तारण हेतू अभियुक्त की नियत दिनांक को न्यायालय में उपस्थिति अनिवार्य है।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप उक्त सत्र परीक्षण में अभियुक्त आसिफ को नियत दिनांक 07.12.2021 को न्यायालय में अनिवार्य रूप से उपस्थित कराना सुनिश्चित करें।

दिनॉकः 26–11–2021

(ज्ञानेन्द्र सिंह यादव)
अपर जिला एवं सत्र
न्यायाधीश
कक्ष सं0 7,
मुरादाबाद।

न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश, कक्ष सं0–7, मुरादाबाद।

सिविल अपील सं0 – 63/2019

जितेन्द्र सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य आदि।

दिनांक– 16.12.2021

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गई। कोई उपस्थित नहीं है।

बार बार पुकार कराये जाने पर न तो अपीलार्थी उपस्थित है और न ही उनके विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हैं और न ही अपीलार्थी की ओर से कोई स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अपीलार्थी को बार–बार पुकारा गया, लेकिन अपीलार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। न्यायहित में पत्रावली लंच बाद पेश

हो।

दिनॉकः 16.12.2021 **(ज्ञानेन्द्र सिंह यादव)**
अपर जिला एवं सत्र
न्यायाधीश
कक्ष सं0 7,
मुरादाबाद।

पत्रावली लंच बाद समय 03:30 **P.M.** पर पेश हुई। पुनः पुकार कराई गई, परंतु अपीलार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है और न ही कोई स्थगन प्रार्थना पत्र दिया गया है। आदेश पत्रिका के अवलोकन से विदित है कि इससे पूर्व में भी कई तिथियों पर अपीलार्थी अनुपस्थित रहा है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलार्थी को वाद में रूचि नहीं है। ऐसी स्थिति में, वाद को लंबित रखने का कोई औचित्य नहीं है। अतः अपीलार्थी की अनुपस्थिति में प्रस्तुत सिविल अपील वाद निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रस्तुत सिविल अपील वाद अपीलार्थी की अनुपस्थिति में खारिज किया जाता है।

दिनॉकः 16.12.2021 **(ज्ञानेन्द्र सिंह यादव)**
अपर जिला एवं सत्र
न्यायाधीश
कक्ष सं0 7,
मुरादाबाद।

प्रेषक,

ज्ञानेन्द्र सिंह यादव
अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश,
कक्ष सं0–7, मुरादाबाद।

सेवा में,

श्रीमान अनुभाग अधिकारी,
फौजदारी जमानत अनुभाग,
माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद।

द्वारा,

माननीय जनपद न्यायाधीश,
मुरादाबाद।

विषय– आपके पत्रांक सं0– 47022/क्रिमि0 बेल सेक्शन, एच0सी0ए0, दिनांकित 18.11.2021 के संबंध में आख्या।

महोदय,

सादर निवेदन है कि आज दिनांक 15.12.2021 को आपका उपरोक्त विषयक पत्रांक प्राप्त हुआ, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अ0सं0 394/2009, थाना छजलैट, जिला मुरादाबाद के प्रकरण में दिन प्रतिदिन सुनवाई करके इस प्रकरण को अतिशीघ्र निस्तारित करने हेतू निर्देशित किया है तथा प्रकरण की वर्तमान आख्या आहूत की गई है।

माननीय महोदय को इस संदर्भ में सादर अवगत कराया जाता है कि यह प्रकरण वर्तमान में बहस के स्तर पर नियत है तथा पूर्व में आंशिक रूप से बहस सुनी जा चुकी है तथा विगत दो तिथियों पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की ओर से ही स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर बहस के लिए अग्रिम समय मांगा गया है, जिस कारण पूर्व में नियत दो तिथियों पर बहस नहीं सुनी जा सकी है। इस प्रकरण में अग्रिम नियत दिनांक 16.12.2021 बहस के लिए नियत है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों का हरसंभव प्रकार से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

आख्या श्रीमान जी की सेवा में सादर प्रेषित।

दिनॉकः 15.12.2021 **(ज्ञानेन्द्र सिंह यादव)**
अपर जिला एवं सत्र
न्यायाधीश
कक्ष सं0 7, मुरादाबाद।

कार्यालय जनपद न्यायाधीश, जनपद न्यायालय मुरादाबाद।

पत्रांक दिनांक–

सेवा में,

श्रीमान अनुभाग अधिकारी,
फौजदारी जमानत अनुभाग,
माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद को सादर अग्रसारित।

जनपद न्यायाधीश,
मुरादाबाद।

<u>न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0–7, मुरादाबाद।</u>

नोटिस

थानाध्यक्ष,
थाना मझोला,
मुरादाबाद।

इस न्यायालय में विशेष सत्र परीक्षण सं0–407/2021 राज्य बनाम सलीम की पत्रावली लंबित है। उक्त सत्र परीक्षण में दिनांक 26.03.2021 को आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है, परंतु अभी तक विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट न्यायालय में दाखिल नहीं की गई है। जिसके कारण अभी तक उक्त सत्र परीक्षण में कोई भी कार्यवाही अग्रसारित नहीं की जा सकी है। उक्त सत्र परीक्षण में विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट न्यायालय में दाखिल करने हेतू आपके थाने के पैरोकार को कई बार मौखिक रूप से आदेशित किया जा चुका है, परंतु अभी तक रिपोर्ट दाखिल नहीं की गई है। इसके अतिरिक्त जमानत प्रार्थना में आख्या व साक्षियों को भी समय से न्यायालय में पैरोकार द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जाता है, जो कि अत्यंत आपत्तिजनक है एवं पैरोकार का यह कृत्य अत्यंत लापरवाही का द्योतक है।

अतः आपको आदेशित किया जाता है कि आप संबंधित पैरोकार के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें एवं उक्त सत्र परीक्षण से संबंधित विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट न्यायालय में अविलम्ब दाखिल करना सुनिश्चित करें तथा कृत कार्यवाही से न्यायालय को अवगत करायें।

दिनॉकः 15.12.2021 (**ज्ञानेन्द्र सिंह यादव**)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश

कक्ष सं0 7,

मुरादाबाद।

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0–7, मुरादाबाद।

फौजदारी विविध वाद सं0 – 256/2021

मोनिका शर्मा बनाम राज्य

दिनांक– 14.12.2021

प्रार्थना पत्र पेश हुआ। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मोबाईल रिलीज हेतू प्रस्तुत किया गया था, परंतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के दिनांक के बाद से आज दिनांक तक प्रार्थी की ओर से पैरवी हेतू कोई भी उपस्थित नहीं आया है और न ही उसकी ओर से कोई स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि

प्रार्थी को उक्त प्रार्थना पत्र के निस्तारण में कोई रूचि नहीं है। ऐसी स्थिति में, प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को लंबित रखने का कोई औचित्य नहीं है।

आदेश

अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से पैरवी न होने/अनुपस्थित रहने के कारण निरस्त किया जाता है।

दिनॉकः14.12.2021 **(ज्ञानेन्द्र सिंह यादव)**

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश

कक्ष सं0 7, मुरादाबाद।

सेवा में,

माननीय जनपद न्यायाधीश,
जनपद न्यायालय, मुरादाबाद।

विषय— टी0ए0 सं0— 32/2021 के संबंध में आख्या।

महोदय,

सादर निवेदन है कि इस न्यायालय में सत्र परीक्षण सं0– 367/2016, अ0सं0 308/16, अंतर्गत धारा 8/18 एन0डी0पी0एस0 एक्ट तथा सत्र परीक्षण सं0– 996/16, अ0सं0 309/16, अंतर्गत धारा 3/25 आयुध अधि0, राज्य बनाम मौ0 हफीज की पत्रावलियां लंबित है। उक्त दोनों पत्रावलियों में अग्रिम नियत दिनांक 24.12.2021 है।

आख्या सादर प्रेषित।

दिनॉकः 11.12.2021

(ज्ञानेन्द्र सिंह यादव)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कक्ष सं0 7, मुरादाबाद।

सजायावी वारण्ट

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-7, मुरादाबाद
पीठासीन अधिकारी- (ज्ञानेन्द्र सिंह यादव), (उच्चतर न्यायिक सेवा) - **UP06237**

सेशन केस सं0–917/2019

सरकार------बनाम-------असलम पुत्र ताहिर,

निवासी– पीरजादा लाल मस्जिद, थाना कटघर,

जिला–मुरादाबाद।

<u>मुकदमा अपराध संख्या–71/2019</u>

धारा–8/21 एन0डी0पी0एस0एक्ट

थाना– जी0आर0पी0, मुरादाबाद।

<u>निर्णय</u>

दोषसिद्ध असलम को धारा 27 एन0डी0पी0एस0एक्ट के आरोप में दोषी पाते हुये छः माह के कारावास एवं दस हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर उसे एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

अभियुक्त द्वारा इस प्रकरण में कारागार में व्यतीत की गयी अवधि सजा की अवधि में समायोजित की जायेगी।

<u>दिनांक :–10.12.2021</u>

(ज्ञानेन्द्र सिंह यादव)

विशेष न्यायाधीश (एन0डी0पी0एस0एक्ट)/

अपर सत्र न्यायाधीश,कक्ष संख्या–7,

मुरादाबाद।

प्रेषित,

जिलाधिकारी,

जिला मुरादाबाद।

विषय– सत्र परीक्षण सं0 1445/2016, अ0सं0 598/2016 के संबंध में।

महोदय,

आपको अवगत कराना है कि सत्र परीक्षण सं0–1445/2016, अ0सं0 598/2016 अंतर्गत धारा 302/34, 394/34, 411 भा0दं0सं0, थाना संभल, राज्य बनाम भूरा उर्फ कुन्जा आदि की पत्रावली इस न्यायालय में लंबित है। उक्त पत्रावली में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा शीघ्र निस्तारण हेतू दिशा–निर्देश प्राप्त है। उक्त सत्र परीक्षण में अभियुक्त आसिफ, जिला कारागार बिजनौर तथा अभियुक्त भूरा उर्फ कुंजा जिला कारागार रामपुर में निरूद्ध है। उक्त पत्रावली वर्तमान में बहस के स्तर पर लंबित है और बहस के दौरान उक्त दोनों अभियुक्तों की न्यायालय में उपस्थिति अनिवार्य है। किंतु, अभियुक्तगण आसिफ व भूरा उर्फ कुंजा के न्यायालय में उपस्थित न हो पाने के कारण उक्त सत्र परीक्षण में कोई कार्यवाही नहीं हो पा रही है, जिसके कारण पत्रावली के निस्तारण में अवांछित विलम्ब कारित हो रहा है और माननीय उच्च न्यायालय के दिशा–निर्देश का अनुपालन नहीं हो पा रहा है।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप उक्त सत्र परीक्षण में निर्णय की अवधि तक अभियुक्त आसिफ को जिला कारागार बिजनौर से तथा अभियुक्त भूरा उर्फ कुंजा को जिला कारागार रामपुर से जिला कारागार मुरादाबाद में अंतरित करने हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें।

दिनॉकः 07.12.2021

(ज्ञानेन्द्र सिंह यादव)
अपर जिला एवं सत्र
न्यायाधीश
कक्ष सं0 7,

मुरादाबाद।

प्रेषित,

जेल अधीक्षक,

जिला कारागार,

बिजनौर।

विषय– अभियुक्त आसिफ को जिला कारागार बिजनौर से नियत दिनांक को न्यायालय उपस्थित किये जाने हेतू।

महोदय,

उपरोक्त सम्बन्ध में आपको अवगत कराना है कि सत्र परीक्षण सं0–1445/2016, अंतर्गत धारा 302 भा0दं0सं0, थाना संभल, राज्य बनाम भूरा उर्फ कुन्जा आदि की पत्रावली इस न्यायालय में लंबित है। उक्त पत्रावली में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा शीघ्र निस्तारण हेतू दिशा–निर्देश प्राप्त है। उक्त सत्र परीक्षण का अभियुक्त आसिफ, जिला कारागार बिजनौर में निरूद्ध है। पत्रावली वर्तमान में बहस के स्तर पर लंबित है। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार पत्रावली के शीघ्र निस्तारण हेतू अभियुक्त की नियत दिनांक को न्यायालय में उपस्थिति अनिवार्य है।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप उक्त सत्र परीक्षण में अभियुक्त

आसिफ को नियत दिनांक 07.12.2021 को न्यायालय में अनिवार्य रूप से उपस्थित कराना सुनिश्चित करें।

दिनॉकः 26–11–2021

(ज्ञानेन्द्र सिंह यादव)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कक्ष सं0 7,
मुरादाबाद।

सजायावी वारण्ट

न्यायालय विशेष न्यायाधीश एन0डी0पी0एस0 एक्ट/ अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–7, मुरादाबाद

पीठासीन न्यायाधीश :– श्री ज्ञानेन्द्र सिंह यादव, एच0जे0एस0

विशेष सत्र परीक्षण सं0 –506/2017
मु0अ0सं0– 176/17
थाना–नागफनी, जनपद मुरादाबाद
धारा–8/15 एन0डी0पी0एस0 एक्ट

सरकार
बनाम
अरूण कुमार पुत्र इन्द्रदास,
निवासी
मौ0 दौलतबाग बाल्मिकी बस्ती,

थाना नागफनी, जनपद मुरादाबाद।

——अभियुक्त

<u>आदेश</u>

दोषसिद्ध अरूण कुमार को धारा 8/15 एन0डी0पी0एस0एक्ट के आरोप में दोषी पाते हुये सात माह के कारावास एवं पांच हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर दोषिसिद्ध को एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

अभियुक्त द्वारा इस प्रकरण में कारागार में व्यतीत की गयी अवधि सजा की अवधि में समायोजित की जायेगी।

दिनॉकः 06.12.2021

(ज्ञानेन्द्र सिंह यादव)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कक्ष सं0 7,
मुरादाबाद।

<u>न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0—7,</u>

मुरादाबाद।

नोटिस

प्रधानाचार्य,
प्रा0वि0 जलीलपुर फरवर (पाखराबाद)
तहसील–धनौरा,
जिला–अमरोहा।

इस न्यायालय में विविध वाद 277/2021 ऋषिपाल सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य की पत्रावली लंबित है, जिसमें ऋषिपाल की उम्र सत्यापित करने हेतू न्यायालय में आपका साक्ष्य अंकित किया जाना है।

अतः आपको आदेशित किया जाता है कि आप दिनांक 13.12.2021 को मय एस0आर0 रजिस्टर व प्रवेश पंजिका तथा अन्य प्रपत्रों के साथ न्यायालय में प्रातः 10:30 बजे उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

दिनॉकः 06.12.2021

(**ज्ञानेन्द्र सिंह यादव**)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कक्ष सं0 7,
मुरादाबाद।

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0–7, मुरादाबाद।

नोटिस

<u>नोटिस</u>

थानाध्यक्ष,
थाना कटघर,
मुरादाबाद।

इस न्यायालय में फौजदारी विविध वाद 256/2021 मोनिका शर्मा बनाम राज्य की पत्रावली मोबाईल रिलीज किये जाने हेतू लंबित है, जिसमें थाने से आख्या मांगी गयी थी और मौखिक रूप से भी आदेशित किया गया था, परंतु अभी तक आपके द्वारा पूर्ण आख्या न्यायालय को प्रेषित नहीं की गई है। यह कृत्य आपकी लापरवाही का द्योतक है।

अतः आपको आदेशित किया जाता है कि आप दिनांक 13.12.2021 को न्यायालय में उपस्थित होकर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

ऐसा करने में किसी प्रकार की त्रुटि न हो।

दिनॉकः 06.12.2021 (**ज्ञानेन्द्र सिंह यादव**)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश

कक्ष सं0 7,

मुरादाबाद।

<u>न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0–7, मुरादाबाद।</u>

<u>नोटिस</u>

थानाध्यक्ष,
थाना सिविल लाईन,
मुरादाबाद।

इस न्यायालय में फौजदारी विविध वाद 304/2021 राज्य बनाम शिवराज सिंह की पत्रावली मोबाईल तथा रूपये रिलीज किये जाने हेतू लंबित है,

जिसमें थाने से आख्या मांगी गयी थी और मौखिक रूप से भी आदेशित किया गया था, परंतु अभी तक आपके द्वारा पूर्ण आख्या न्यायालय को प्रेषित नहीं की गई है। यह कृत्य आपकी लापरवाही का द्योतक है।

अतः आपको आदेशित किया जाता है कि आप दिनांक 13.12.2021 को न्यायालय में उपस्थित होकर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। ऐसा करने में किसी प्रकार की त्रुटि न हो।

दिनॉकः 06.12.2021

(ज्ञानेन्द्र सिंह यादव)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कक्ष सं0 7,
मुरादाबाद।

<u>न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0–7, मुरादाबाद।</u>

<u>नोटिस</u>

थानाध्यक्ष,
थाना सिविल लाईन,
मुरादाबाद।

इस न्यायालय में फौजदारी विविध वाद 271/2021 राज्य बनाम विक्की की पत्रावली मोबाईल रिलीज किये जाने हेतू लंबित है, जिसमें थाने से आख्या मांगी गयी थी और मौखिक रूप से भी आदेशित किया गया था, परंतु अभी तक आपके द्वारा पूर्ण आख्या न्यायालय को प्रेषित नहीं की गई है। यह कृत्य आपकी लापरवाही का द्योतक है।

अतः आपको आदेशित किया जाता है कि आप दिनांक 13.12.2021 को न्यायालय में उपस्थित होकर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। ऐसा करने में किसी प्रकार की त्रुटि न हो।

दिनॉकः 06.12.2021

(**ज्ञानेन्द्र सिंह यादव**)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कक्ष सं0 7,
मुरादाबाद।

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0–7, मुरादाबाद।

नोटिस

प्रधानाचार्य,
प्रा0वि0 जलीलपुर फरवर,
तहसील–धनौरा,
जिला–अमरोहा।

इस न्यायालय में विविध वाद 277/2021 ऋषिपाल सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य की पत्रावली लंबित है, जिसमें ऋषिपाल की उम्र सत्यापित करने हेतू न्यायालय में आपका साक्ष्य अंकित किया जाना है।

अतः आपको आदेशित किया जाता है कि आप दिनांक 25.11.2021 को मय एस0आर0 रजिस्टर व प्रवेश पंजिका तथा अन्य प्रपत्रों के साथ न्यायालय में प्रातः 10 बजे उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

दिनॉकः 17–11–2021

(ज्ञानेन्द्र सिंह यादव)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कक्ष सं0 7,
मुरादाबाद।

सेवा में,

श्रीमान अनुभाग अधिकारी,
फौजदारी जमानत अनुभाग,
उच्च न्यायालय इलाहाबाद।

द्वारा,

माननीय जनपद न्यायाधीश,
जनपद न्यायालय, मुरादाबाद।

विषय– पत्रांक सं0– 43786/क्रिमि0 बेल सेक्शन, एच0सी0ए0, दिनांकित 01.11.2021 के संबंध में आख्या।

महोदय,

सादर निवेदन है कि आज दिनांक 04.12.2016 को आपका उपरोक्त विषयक पत्रांक प्राप्त हुआ, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सत्र परीक्षण सं0–143/2017, अ0सं0 214/2016, अंतर्गत धारा 147, 148,149, 452, 302 भा0दं0सं0, थाना कुढ़फतेहगढ़, जिला मुरादाबाद, राज्य बनाम गोविंदा के प्रकरण में दिन प्रतिदिन सुनवाई करके इस प्रकरण को अतिशीघ्र निस्तारित करने हेतू निर्देशित किया है तथा प्रकरण की वर्तमान आख्या आहूत की गई है।

माननीय महोदय को इस संदर्भ में सादर अवगत कराया जाता है कि इस प्रकरण में दिनांक 26.11.2021 को अभियुक्तगण के बयान अंतर्गत धारा 313 भा0दं0सं0 अंकित किये जा चुके हैं तथा वर्तमान में पत्रावली आज दिनांक 04.12. 2021 को सफाई साक्ष्य अंकित किये जाने हेतू नियत है तथा इस प्रकरण में सफाई साक्ष्य अंकित किये जाने हेतू अग्रिम नियत दिनांक 06.12.2021 है। इसके अतिरिक्त, प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त विपिन पुत्र सतीश सिंह की ओर से जे0जे0 एक्ट के तहत उसे नाबालिग घोषित किये जाने हेतू प्रार्थना पत्र भी दायर किया गया है,

जिसकी कार्यवाही पृथक चल रही है, जिसमें आज बयान अंकित किये गये हैं। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों का हरसंभव प्रकार से अनुपालन किया जायेगा।

आख्या श्रीमान जी की सेवा में सादर प्रेषित।

दिनॉकः 04.12.2021

(ज्ञानेन्द्र सिंह यादव)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कक्ष सं0 7, मुरादाबाद।

कार्यालय जनपद न्यायाधीश, जनपद न्यायालय मुरादाबाद।

पत्रांक दिनांक–

सेवा में,

श्रीमान अनुभाग अधिकारी,
फौजदारी जमानत अनुभाग,
उच्च न्यायालय इलाहाबाद को सादर अग्रसारित।

जनपद न्यायाधीश,
मुरादाबाद।

न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश, कक्ष सं0–7, मुरादाबाद।

<u>नोटिस</u>

थानाध्यक्ष,

थाना–कटघर ,

जिला–मुरादाबाद।

आपको अवगत कराया जाता है कि इस न्यायालय में क्रिमिनल रिवीजन सं0 117/19 विवेक गुप्ता बनाम उ0प्र0 राज्य आदि लंबित है, जिसमें इस न्यायालय को सूचित किया गया है कि उक्त वाद में प्रार्थी विवेक गुप्ता पुत्र श्री भगवत सरन गुप्ता, निवासी बी–736, लाजपत नगर, थाना कटघर, जिला मुरादाबाद की मृत्यु हो चुकी है।

अतः इस संबंध में आपको आदेशित किया जाता है कि आप उक्त व्यक्ति की मृत्यु के संबंध में अपनी आख्या दिनांक 14.12.2021 से पूर्व अपनी आख्या प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। ऐसा करने में किसी प्रकार की लापरवाही न हो।

दिनॉकः 04.12.2021

(**ज्ञानेन्द्र सिंह यादव**)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश

कक्ष सं0 7, मुरादाबाद।

सेवा में,

प्रभारी अधिकारी नजारत अनुभाग,
जनपद न्यायालय, मुरादाबाद।

द्वारा,

श्रीमान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कक्ष सं0–7, मुरादाबाद।

विषय– प्रिंटर की कॉर्टेज व ड्रम उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

ससम्मान निवेदन करना है कि न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0–7, मुरादाबाद के आशुलिपिक कक्ष में लगे प्रिंटर की कॉर्टेज व ड्रम सामान्य स्तर से कम हो जाने के कारण प्रिंट पठनीय नहीं आ रहा है, जिससे न्यायालय के आदेश संबंधी कार्य में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है।

अतः महोदय से विनम्र निवेदन है कि प्रिंटर हेतू कॉर्टेज व ड्रम उपलब्ध कराये जाने हेतू संबंधित को उचित आदेश पारित करने की कृपा करें।

सादर।

दिनांक– 04.12.2021 प्रार्थी,

दीपक कुमार
आशुलिपिक
न्याया0 ए0डी0जे0–7,
मुरादाबाद।

न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश, कक्ष सं0–7, मुरादाबाद।

<u>नोटिस</u>

थानाध्यक्ष,

थाना–कोतवाली गंगनहर ,

जिला–हरिद्वार।

आपको अवगत कराया जाता है कि विशेष सत्र परीक्षण सं0–202/15, अंतर्गत धारा– 18/27 ड्रग्स एक्ट, थाना बहजोई, जिला संभल इस न्यायालय में विचाराधीन है। जिसमें इस न्यायालय को सूचित किया गया है कि उक्त वाद में अभियुक्त सुरेन्द्र सिंह चौहान पुत्र नारायन सिंह चौहान, निवासी ग्राम सलेमपुर राजपुताना, रूड़की, हरिद्वार, प्रदेश–उत्तराखण्ड की मृत्यु हो चुकी है।

अतः इस संबंध में आपको आदेशित किया जाता है कि आप उक्त अभियुक्त की मृत्यु के संबंध में अपनी आख्या दिनांक 16.12.2021 से पूर्व अपनी आख्या प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। ऐसा करने में किसी प्रकार की लापरवाही न हो।

दिनॉकः 03.12.2021 (**ज्ञानेन्द्र सिंह यादव**)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश

कक्ष सं0 7,

मुरादाबाद।

सजायावी वारण्ट

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–7, मुरादाबाद।

सत्र परीक्षण सं0–557/2017

मु0अ0सं0 22/2017
थाना–बहजोई, सम्भल।
धारा–302/34, 504/506 भा0द0सं0
सरकार बनाम रामफल पुत्र रामस्वरूप।
निवासी– ग्राम सिंहपुर थाना बहजोई,
जिला सम्भल।

<u>**आदेश**</u>

सत्र परीक्षण सं0– 557/2017, संबंधित मु0अ0सं0 22/17 में अभियुक्त रामफल को आरोपित धारा 302/34 भा0द0सं0 के अपराध के आरोप में आजीवन कारावास एवं बीस हजार रूपये अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर दो वर्ष के अतिरिक्त कारावास सजा से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त रामफल द्वारा जेल में बितायी गयी अवधि सजा मे समायोजित की जायेगी।

दिनॉकः 09–11–2021

(ज्ञानेन्द्र सिंह यादव)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कक्ष सं0 7,
मुरादाबाद।

न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश, कक्ष सं0–7, मुरादाबाद।

सिविल विविध वाद सं0 – 697/2019

मौ0 अजमल बनाम गुरू सरन आदि।

दिनांक– 02.12.2021

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गई। विपक्षी सं0–1 उपस्थित।

बार बार पुकार कराये जाने पर न तो प्रार्थी उपस्थित है और न ही उनके विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हैं और न ही प्रार्थी की ओर से कोई स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी को बार–बार पुकारा गया, लेकिन प्रार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। न्यायहित में पत्रावली लंच बाद पेश हो।

दिनॉकः 02.12.2021 **(ज्ञानेन्द्र सिंह यादव)**
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कक्ष सं0 7, मुरादाबाद।

पत्रावली लंच बाद समय 03:30 P.M. पर पेश हुई। पुनः पुकार कराई गई। विपक्षी सं0–1 उपस्थित हैं, परंतु प्रार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है और न ही

कोई स्थगन प्रार्थना पत्र दिया गया है। आदेश पत्रिका के अवलोकन से विदित है कि इससे पूर्व में भी कई तिथियों पर बिना न्यायालय को सूचित किये प्रार्थी अनुपस्थित रहा है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि प्रार्थी को वाद में रूचि नहीं है। ऐसी स्थिति में, वाद को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः प्रार्थी की अनुपस्थिति व विपक्षी सं0–1 में उपस्थिति में प्रस्तुत सिविल विविध वाद निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रस्तुत सिविल विविध वाद प्रार्थी की अनुपस्थिति व विपक्षी सं0–1 की उपस्थिति में खारिज किया जाता है।

दिनॉकः 02.12.2021 (**ज्ञानेन्द्र सिंह यादव**)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश

कक्ष सं0 7, मुरादाबाद।

न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश, कक्ष सं0–7,

मुरादाबाद।

<u>नोटिस</u>

थानाध्यक्ष कुढ़फतेहगढ़ द्वारा तामीला कराये जाने हेतू।

श्री सतीश सिंह,

निवासी

ग्राम व पोस्ट– छाबड़ा,

तह0 चंदौसी, जिला मुरादाबाद।

आपको अवगत कराया जाता है कि फौजदारी विविध वाद सं0 289/2021, बनाम विपिन कुमार पुत्र श्री सतीश सिंह, निवासी ग्राम व पोस्ट छाबड़ा, तह0 चंदौसी, जिला मुरादाबाद इस न्यायालय में लंबित है, जिसमें उक्त अभियुक्त विपिन कुमार की उम्र सत्यापित की जानी है।

अतः इस संबंध में आपको (अभियुक्त विपिन कुमार के माता व पिता) आदेशित किया जाता है कि अभियुक्त विपिन कुमार की आयु सत्यापित किये जाने हेतू आप दिनांक 04.12.2021 को प्रातः 10:30 बजे अनिवार्य रूप से न्यायालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

दिनॉकः 30–11–2021

(**ज्ञानेन्द्र सिंह यादव**)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश

कक्ष सं0 7,

मुरादाबाद।

न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश, कक्ष सं0–7, मुरादाबाद।

<u>नोटिस</u>

थानाध्यक्ष ठाकुरद्वारा द्वारा तामीला कराये जाने हेतू।

प्रधानाचार्य,

कृष्णा पब्लिक उ0मा0 विद्यालय,

जलालपुर, ठाकुरद्वारा,

जिला–मुरादाबाद।

आपको अवगत कराया जाता है कि फौजदारी विविध वाद सं0 289/2021, बनाम विपिन कुमार पुत्र श्री सतीश सिंह, निवासी ग्राम व पोस्ट छाबड़ा, तह0 चंदौसी, जिला मुरादाबाद इस न्यायालय में लंबित है, जिसमें उक्त अभियुक्त विपिन कुमार की उम्र सत्यापित की जानी है।

अतः इस संबंध में आपको आदेशित किया जाता है कि

अभियुक्त विपिन कुमार की आयु सत्यापित किये जाने हेतू आप दिनांक 04.12.2021 को प्रातः 10:30 बजे मय एस0आर0 रजिस्टर, प्रवेश पंजिका इत्यादि प्रपत्रों के साथ न्यायालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

दिनॉकः 30–11–2021 (**ज्ञानेन्द्र सिंह यादव**)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश

कक्ष सं0 7,

मुरादाबाद।

न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश, कक्ष सं0–7, मुरादाबाद।

<u>नोटिस</u>

थानाध्यक्ष,

थाना–भगवानपुर, ,

जिला–रूड़की।

आपको अवगत कराया जाता है कि विशेष सत्र परीक्षण सं0–202/15, अंतर्गत धारा– 18/27 ड्रग्स एक्ट, थाना बहजोई, जिला संभल इस न्यायालय में विचाराधीन है। जिसमें इस न्यायालय को सूचित किया गया है कि उक्त वाद में अभियुक्त सुरेन्द्र सिंह चौहान पुत्र नारायन सिंह चौहान, निवासी ग्राम सलेमपुर राजपुताना, जिला रूड़की, हरिद्वार, प्रदेश उत्तराखण्ड की मृत्यु हो चुकी है।

अतः इस संबंध में आपको आदेशित किया जाता है कि आप उक्त अभियुक्त की मृत्यु के संबंध में अपनी आख्या दिनांक 16.12.2021 से पूर्व अपनी आख्या प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। ऐसा करने में किसी प्रकार की लापरवाही न हो।

दिनॉकः 30–11–2021

(**ज्ञानेन्द्र सिंह यादव**)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश

कक्ष सं0 7,

मुरादाबाद।

न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश, कक्ष सं0–7, मुरादाबाद।

सभी अधिवक्तागण को सूचित किया जाता है कि न्यायालय में सभी जमानत प्रार्थना पत्रों की वर्चुअल सुनवाई समय दोपहर 12:00 बजे की जायेगी।

न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश, कक्ष सं0–7, मुरादाबाद।

<u>नोटिस</u>

थानाध्यक्ष / विवेचक,

मझोला।

आपको अवगत कराना है कि मु0अ0सं0 837/2021, धारा 8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट, मुरादाबाद में अभियुक्त नीटू का दिनांक 30.09.2021 को रिमाण्ड स्वीकृत कराया गया था। उक्त मु0अ0सं0 में आज तक आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित नहीं किया गया है, जो कि आपत्तिजनक है।

अतः इस संबंध में थानाध्यक्ष/विवेचक को आदेशित किया जाता है कि वह दिनांक 01.12.2021 तक न्यायालय में उपस्थित होकर इस संबंध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। ऐसा करने में किसी प्रकार की लापरवाही न हो।

दिनॉकः 29—11—2021

(**ज्ञानेन्द्र सिंह यादव**)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश

कक्ष सं0 7,

मुरादाबाद।

फौजदारी विविध वाद सं0 – 270/2021

राज्य बनाम दानिश

दिनांक– 29.11.2021

प्रार्थना पत्र पेश हुआ। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मोबाईल रिलीज हेतू प्रस्तुत किया गया था, परंतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के दिनांक के बाद से आज दिनांक तक प्रार्थी की ओर से पैरवी हेतू कोई भी उपस्थित नहीं आया है और न ही उसकी ओर से कोई स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि प्रार्थी को उक्त प्रार्थना पत्र के निस्तारण में कोई रूचि नहीं है। ऐसी स्थिति में, प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को लंबित रखने का कोई औचित्य नहीं है।

<u>आदेश</u>

अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से पैरवी न होने के कारण निरस्त किया जाता है।

दिनॉकः 29–11–2021 (**ज्ञानेन्द्र सिंह यादव**)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश

कक्ष सं0 7, मुरादाबाद।

सेवा में,

श्रीमान अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश,

कक्ष सं0–7, मुरादाबाद।

महोदय,

निवेदन इस प्रकार है कि प्रार्थी दिनांक 08.11.2021 से 27.11.2021 तक अर्जित अवकाश पर था।

अतः महोदय से विनम्र निवेदन है कि दिनांक 28.11.2021 को सफिक्स करते हुए प्रार्थी को आज दिनांक 29.11.2021 की पूर्वाह्न से कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें।

आपकी महती कृपा होगी।

दिनांक 29.11.2021 प्रार्थी,

कृष्णपाल सिंह
अर्दली
न्यायालय ए0डी0जे0–7,
मुरादाबाद।

न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश, कक्ष सं0–7, मुरादाबाद।

फौजदारी विविध वाद सं0 – 270/2021

राज्य बनाम दानिश

दिनांक– 29.11.2021

प्रार्थना पत्र पेश हुआ। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मोबाईल रिलीज हेतू प्रस्तुत किया गया था, परंतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के दिनांक के बाद से आज दिनांक तक प्रार्थी की ओर से पैरवी हेतू कोई भी उपस्थित नहीं आया है और न ही उसकी ओर से कोई स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि प्रार्थी को उक्त प्रार्थना पत्र के निस्तारण में कोई रूचि नहीं है। ऐसी स्थिति में, प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को लंबित रखने का कोई औचित्य नहीं है।

<u>आदेश</u>

अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से पैरवी न होने के कारण निरस्त किया जाता है।

दिनॉकः 29–11–2021 (**ज्ञानेन्द्र सिंह यादव**)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश

कक्ष सं0 7, मुरादाबाद।

न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश, कक्ष सं0–7, मुरादाबाद।

मूलवाद सं0– 287/2010

सुभाष चंद्र तनेजा बनाम ज्योति

ग्रोवर आदि।

दिनांक– 29.11.2021

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गई। प्रतिवादी उपस्थित आये।

बार बार पुकार कराये जाने पर न तो वादी उपस्थित है और न ही उनके विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हैं और न ही वादी की ओर से कोई स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। वाद को बार–बार पुकारा गया, लेकिन वादी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। न्यायहित में पत्रावली लंच बाद समय 03:00 बजे पेश हो।

दिनॉकः 29–11–2021 **(ज्ञानेन्द्र सिंह यादव)**
अपर जिला एवं सत्र
न्यायाधीश
कक्ष सं0 7,
मुरादाबाद।

पत्रावली लंच बाद समय 03:00 **P.M.** पर पेश हुई। पुनः पुकार कराई गई। प्रतिवादी उपस्थित हैं, परंतु वादी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है और न ही कोई स्थगन प्रार्थना पत्र दिया गया है। पिछली नियत दिनांक 01.11.2021 को वादी की अनुपस्थिति के कारण उसे साक्ष्य हेतू अंतिम अवसर प्रदान किया गया था। परंतु आज भी नियत दिनांक को वह उपस्थित नहीं आया। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि वादी को वाद में रूचि नहीं है। ऐसी स्थिति में, वाद को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः वादी की अनुपस्थिति व प्रतिवादी में उपस्थिति में प्रस्तुत मूलवाद निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रस्तुत मूलवाद वादी की अनुपस्थिति व प्रतिवादी की उपस्थिति में खारिज किया जाता है।

दिनॉकः 29–11–2021 **(ज्ञानेन्द्र सिंह यादव)**
अपर जिला एवं सत्र
न्यायाधीश
कक्ष सं0 7,
मुरादाबाद।

दिनॉकः 26–11–2021 **(ज्ञानेन्द्र सिंह यादव)**

अपर जिला एवं सत्र

न्यायाधीश

कक्ष सं0 7,

मुरादाबाद।

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0–7, मुरादाबाद।

दिनांक– 26.11.2021

अभियोजन की ओर से प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त विपिन कुमार पुत्र सतीश सिंह के द्वारा अभियुक्त को जुवेनाईल घोषित करने हेतू प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसकी प्रकिया काफी लंबी है और जिससे इस वाद के निस्तारण में विलम्ब होगा। ऐसी स्थिति में, अभियुक्त विपिन कुमार पुत्र सतीश सिंह की पत्रावली पृथक करने हेतू याचना की गई।

सुना एवं अवलोकन किया।

अभियुक्त विपिन कुमार पुत्र सतीश सिंह की पत्रावली पृथक किये जाने हेतू पर्याप्त आधार है। कार्यालय लिपिक को आदेशित किया जाता है कि वह अभियुक्त विपिन कुमार पुत्र सतीश सिंह की पत्रावली पृथक करें।

दिनॉकः 26–11–2021

(**ज्ञानेन्द्र सिंह यादव**)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कक्ष सं0 7,
मुरादाबाद।

प्रेषित,

जेल अधीक्षक,

जिला कारागार,

बिजनौर।

विषय– अभियुक्त आसिफ को जिला कारागार बिजनौर से नियत दिनांक को न्यायालय उपस्थित किये जाने हेतु।

महोदय,

उपरोक्त सम्बन्ध में आपको अवगत कराना है कि सत्र परीक्षण सं0–1445/2016, अंतर्गत धारा 302 भा0दं0सं0, थाना संभल, राज्य बनाम भूरा उर्फ

कुन्जा आदि की पत्रावली इस न्यायालय में लंबित है। उक्त पत्रावली में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा शीघ्र निस्तारण हेतू दिशा–निर्देश प्राप्त है। उक्त सत्र परीक्षण का अभियुक्त आसिफ, जिला कारागार बिजनौर में निरूद्ध है। पत्रावली वर्तमान में बहस के स्तर पर लंबित है। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार पत्रावली के शीघ्र निस्तारण हेतू अभियुक्त की नियत दिनांक को न्यायालय में उपस्थिति अनिवार्य है।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप उक्त सत्र परीक्षण में अभियुक्त आसिफ को नियत दिनांक 07.12.2021 को न्यायालय में अनिवार्य रूप से उपस्थित कराना सुनिश्चित करें।

दिनॉकः 26–11–2021

(ज्ञानेन्द्र सिंह यादव)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कक्ष सं0 7, मुरादाबाद।

<u>न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0–7, मुरादाबाद।</u>

<u>नोटिस</u>

सभी थाने के पैराकारों को आदेशित किया जाता है कि वे प्रतिदिन अपराह्न 01:00 बजे न्यायालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें। ऐसा करने में किसी भी प्रकार की लापरवाही न हो।

दिनॉकः 23–11–2021

(ज्ञानेन्द्र सिंह यादव)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कक्ष सं0 7, मुरादाबाद।

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0–7, मुरादाबाद।

नोटिस

प्रधानाचार्य,
प्रा0वि0 जलीलपुर फरवर,
तहसील–धनौरा,
जिला–अमरोहा।

इस न्यायालय में विविध वाद 277/2021 ऋषिपाल सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य की पत्रावली लंबित है, जिसमें ऋषिपाल की उम्र सत्यापित करने हेतू न्यायालय में आपका साक्ष्य अंकित किया जाना है।

अतः आपको आदेशित किया जाता है कि आप दिनांक 25.11.2021 को मय एस0आर0 रजिस्टर व प्रवेश पंजिका तथा अन्य प्रपत्रों के साथ न्यायालय में प्रातः 10 बजे उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

दिनॉकः 17–11–2021

(ज्ञानेन्द्र सिंह यादव)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कक्ष सं0 7,
मुरादाबाद।

नाम – बृजेश शर्मा

पुत्र स्व0 श्री नारायण दत्त शर्मा

पदनाम – आशुलिपिक

मो0नं0– 9411808407

जी0पी0एफ0 नं0– एल0जे0यू0 17001

डिस्पेच नं0– 335 / 2021

भेजने का दिनांक– 13.10.2021

जिला मुरादाबाद।

सजायावी वारण्ट

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–7,मुरादाबाद।

सेशन केस सं0– 997/2019

सरकार–––––––बनाम––––––––**1.** अभिषेक उर्फ डब्बू पुत्र बलवीर सिंह, निवासी म0नं0 1261 काशीराम योजना, थाना मझोला

2. बाबू उर्फ जुनैद पुत्र शहीद, निवासी जामा मस्जिद बरवालान, थाना मुगलपुरा

मुकदमा अपराध संख्या–93/2019

धारा 8/22 एन0डी0पी0एस0एक्ट

थाना– जी0आर0पी0, मुरादाबाद।

आदेश

दोषसिद्धगण अभिषेक उर्फ डब्बू व बाबू उर्फ जुनैद प्रत्येक को धारा 8/22 एन0डी0पी0एस0एक्ट के आरोप में दोषी पाते हुये दो वर्ष सात माह के कारावास एवं पांच हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर प्रत्येक को एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

अभियुक्तगण प्रत्येक द्वारा इस प्रकरण में कारागार में व्यतीत की गयी अवधि सजा की अवधि में समायोजित की जायेगी।

दिनॉकः 12—11—2021

(ज्ञानेन्द्र सिंह यादव)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कक्ष सं0 7, मुरादाबाद।

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0–7, मुरादाबाद।

विशेष सत्र परीक्षण सं0 (परिवाद)– 1089/2021

दिनांक–

प्रार्थना पत्र 10 बी पर पूर्व दिनांक 09.11.2021 को सुना जा चुका है। आज पत्रावली वास्ते आदेश नियत है।

अभियुक्त की ओर से प्रार्थना पत्र 10बी इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि उपरोक्त परिवाद औषधि निरीक्षक द्वारा इस न्यायालय में अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। औषधि निरीक्षक द्वारा जनपद अमरोहा में दिनांक 28.09.2017 को मै0 सिसोदिया मेडिकल स्टोर का निरीक्षण किया गया और निरीक्षण में SERLOX- OZ Suspension (Ofloxacin and Ornidazole Suspension को जब्त किया गया, जिसकी मैन्यूफैकचरिंग डेट माह दिसंबर, 2016 थी और एक्सपायरी डेट माह मई, 2018 थी और फॉर्म 17 व 18, जो औषधि निरीक्षक द्वारा तैयार किया गया, उसके अंदर जब्त किये गये सैंपल का नम्बर यू0एस0–6520 अंकित है और उपरोक्त सैंपल को जांच हेतू Government Analyst Lucknow को भेजा गया, जिसकी आख्या पत्रावली पर 6बी/10 के रूप में दाखिल है और उस आख्या में जो रिपोर्ट प्रेषित की गई है, वह बैच सं0– यू0एस0 6521 से संबंधित है। औषधि निरीक्षक द्वारा जो परिवाद प्रस्तुत किया गया है वह सैंपल सं0– 6521 के परिप्रेक्ष्य में है, जबकि बैच नं0– यू0एस0 6520 मै0 सिसोदिया मेडिकल स्टोर से जब्त किया गया था। इसके अतिरिक्त, धारा 25 (4) ड्ग्स एवं कॉस्मेटिक्स एक्ट के अनुसार Government Analyst की रिपोर्ट के विरूद्ध पक्षकार को अधिकार है कि वह 28 दिन के अंदर सेन्ट्ल ड्ग्स लेबोरेटरी में जब्त किये गये सैंपल का पुनः निरीक्षण करा सकते हैं और इस संदर्भ में प्रार्थी को नोटिस दिनांक 21.7.2018 को प्राप्त हुआ। उस दिनांक को सैंपल एक्सपायर हो चुका था। उसका पुनः निरीक्षण नहीं किया जा सकता था। ऐसी स्थिति में, विधिक रूप से जो अधिकार प्रार्थी को उपलब्ध था, वह उसका उपभोग नहीं कर पाया। उपरोक्त दोनों कारणों से अभियुक्तगण के विरूद्ध यह वाद पोषणीय नहीं है और उन्मोचित किये जाने हेतू

याचना की गई है।

परिवादी औषधि निरीक्षक द्वारा उपरोक्त प्रार्थना पत्र के विरोध में प्रार्थना पत्र 13बी आपत्ति के रूप में प्रस्तुत किया गया, जिसमें उसके द्वारा कथन किया गया है कि मै0 सिसोदिया मेडिकल स्टोर से दिनांक 28.09.2017 को बिल सं0– 25 से सैंपल क्रय किया गया, जिसे पत्रावली पर उसके द्वारा प्रपत्र 6बी/7 के रूप में दाखिल किया गया, उस पर भी बैच सं0– यू0एस0 6521 अंकित है और उसी को निरीक्षण हेतू Government Analyst Lucknow के यहां भेजा गया और वहां से जो आख्या दिनांकित 11.03.2018 प्राप्त हुई, वह भी बैच सं0– यू0एस0 6521 की प्राप्त हुई और उसमें स्पष्ट रूप से यह आख्या प्रस्तुत की गई कि– उपरोक्त सैंपल उचित मानकों पर नहीं है और इस टिप्पणी के साथ रिपोर्ट प्रेषित की गई कि– "The sample does not confirm to declared formula in respect of content of Ofloxacin and Ornidazole." उपरोक्त औषधि मै0 याका फार्मेसिटिकल्स प्रा0लि0 द्वारा निर्मित थी। उसी के उपरांत उपरोक्त रिपोर्ट की प्रति मै0 सिसोदिया मेडिकल स्टोर के स्वामी को प्राप्त कराई और विवेचना उपरांत याका फॉर्मेसिटिकल्स को उस आधार पर नोटिस प्रेषित किया गया, जिसका जवाब अभियुक्तगण द्वारा नहीं दिया गया और पुनः रिमांइडर दिनांक 30.07.2019 को प्रेषित किया गया और उसका भी जबाव अभियुक्तगण द्वारा नहीं दिया गया और उसके उपरांत ही यह परिवाद प्रस्तुत किया गया।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

उपरोक्त परिवाद दिनांक 28.09.2017 को औषधि निरीक्षक द्वारा मै0 सिसोदिया मेडिकल स्टोर का निरीक्षण किया गया, जिसमें अभियुक्तगण की कंपनी याका फॉर्मेसिटिकल्स द्वारा निर्मित SERLOX- OZ Suspension (Ofloxacin and Ornidazole Suspension के सैंपल क्रय कर जब्त किया गया और जिसे निरीक्षण हेतू Government Analyst Lucknow के यहां भेजा गया और जिसकी आख्या दिनांकित 11.03.2018 के अनुसार उपरोक्त औषधि को सही मानकों पर नहीं पाया गया और उपरोक्त सैंपल बिल सं0–25 से क्रय करना कहा गया है, जिसकी मूल प्रति 6बी/7 के रूप में पत्रावली पर दाखिल है, जिसमें उक्त दवाई का बैच सं0– यू0एस0 6521 अंकित है और उसी को जांच हेतू भेजना भी कहा गया है और उक्त जांच रिपोर्ट में भी 6521 ही अंकित है और औषधि निरीक्षक द्वारा परिवाद भी बैच सं0– यू0एस0 6521 के परिप्रेक्ष्य में प्रेषित किया गया है, परंतु पत्रावली पर उपलब्ध फॉमर्स 17 व 18 प्रपत्र सं0–6बी/6 तथा 6बी/8

के रूप मे पत्रावली पर दाखिल है, उसके उपर बैच सं0– यू0एस0 6520 अंकित किया गया है व अन्य पक्षकार मै0 आर0डी0 गुप्ता भवानी ड्ग्स डिस्ट्रीब्यूटर, मै0 सीरा फॉर्मासिटिकल्स लिमि0 द्वारा जो भी प्रपत्र दाखिल किये गये हैं, उन सभी में बैच सं0– यू0एस0 6521 ही अंकित है और बैच सं0– यू0एस0 6520 का अंकन किसी भी प्रपत्र में नहीं है, जो उपरोक्त सभी पक्षकारों द्वारा दाखिल किये गये हैं, जो पत्रावली पर उपलब्ध है, जिससे यह प्रतीत होता है कि फॉमर्स 17 व 18 प्रपत्र सं0–6बी/6 तथा 6बी/8 सहवन से अंकित हो गया है। यह तथ्य इससे भी स्पष्ट होता है कि बिल सं0–25 जो पत्रावली पर प्रपत्र सं0– 6बी/7 के रूप में उपलब्ध है, उसमें भी बैच सं0– यू0एस0 6521 अंकित है और फार्म 17 में भी बिल वाउचर नं0 की संख्या 25 ही अंकित है। उपरोक्त दोनों प्रपत्रों पर नितिन कुमार, जो उपरोक्त मेडिकल स्टोर का मालिक है, उसके हस्ताक्षर भी उपलब्ध है।

प्रार्थी की ओर से दूसरा तर्क यह दिया गया है कि धारा 25 (4) ड्ग्स एवं कॉस्मेटिक्स एक्ट के अंतर्गत यह अधिकार प्राप्त है कि Government Analyst के द्वारा दी गई जांच रिपोर्ट के विरूद्ध पक्षकार नोटिस प्राप्ति के 28 दिन के अंदर पुनः निरीक्षण हेतू संबंधित अधिकारी एवं न्यायालय के समक्ष अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकता है। औषधि निरीक्षक द्वारा पक्षकार को नोटिस प्रेषित जब किया गया, जब उक्त औषधि के सैंपल की एक्सपायरी डेट समाप्त हो चुकी थी और इस कारण पक्षकार का पुनः निरीक्षण का अधिकार समाप्त हो चुका था। यह त्रुटि औषधि निरीक्षक द्वारा की गई है, जिसका लाभ अभियुक्त को प्राप्त होना चाहिये। इस तर्क के विरोध में अभियोजन की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि उक्त Government Analyst Lucknow की रिपोर्ट की प्रति मै0 सिसोदिया मेडिकल स्टोर के स्वामी को प्राप्त करा दी गई थी और उसके द्वारा किसी भी प्रकार का पुनः निरीक्षण हेतू प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया था व जांच उपरांत ही निर्माता कंपनी को नोटिस भेजा जा सकता था और उसके द्वारा जांच उपरांत नोटिस प्रेषित किया गया। यह प्रार्थना पत्र आरोप के स्तर पर उन्मोचन हेतू न्यायालय के समक्ष अभियुक्तगण द्वारा प्रस्तुत किया गया है। न्यायालय को आरोप के स्तर पर केवल यह देखना है कि अभियुक्त के विरूद्ध प्रथम दृष्ट्या अपराध बनता है अथवा नहीं। पत्रावली पर यह तथ्य स्पष्ट है और स्वयं अभियुक्तगण को भी स्वीकार है कि उपरोक्त सैंपल उसी की कंपनी के द्वारा निर्मित किया गया है और उक्त सैंपल की रिपोर्ट Government Analyst Lucknow को जांच हेतू प्रेषित की गयी और जांचोपरांत रिपोर्ट सर्टिफिकेट सं0– **R/3282-17** दिनांकित 11.03.2018 प्रेषित की

गयी, जिसमें "The sample does not confirm to declared formula in respect of content of Ofloxacin and Ornidazole." अंकित है। जिससे सिद्ध है कि जब्त किया गया सैंपल सही मानकों पर खरा नहीं उतरा। ऐसी स्थिति में, अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रथम दृष्ट्या आरोप सिद्ध है।

उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 10बी दिनांकित 18.08.2021 विधिक रूप से पोषणीय नहीं है और निरस्त किये जाने योग्य नहीं है।

आदेश

अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 10 बी विधिक रूप से पोषणीय न होने के कारण निरस्त किया जाता है। पत्रावली वास्ते आरोप दिनांक

के लिए पेश हो।

<u>न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0–7, मुरादाबाद।</u>

विशेष सत्र परीक्षण सं0– 1048/2019

राज्य बनाम शहनवाज मन्नान।

दिनांक 10.11.2021

अभियुक्त शहनवाज मन्नान की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर याचना की गई है कि उसकी गिरफ्तारी के समय पुलिस ने पहचान के लिए उसका मूल ड्राईविंग लाइसेंस लेकर पत्रावली में सी0डी0 के साथ भेज दिया, जिसका मुकदमे से कोई संबंध नहीं है। अतः अनुरोध है कि उसका मूल ड्राईविंग लाइसेंस उसे वापस देकर, आधार कार्ड की छायाप्रति पत्रावली में लगाई जाये।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

अभियुक्त की ओर से अपना मूल ड्राईविंग लाइसेंस लेने की याचना की गई, जिस पर अभियोजन की ओर से कोई आपत्ति नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में, अभियुक्त को उसका मूल ड्राईविंग लाइसेंस वापस किया जाये। ड्राईविंग लाइसेंस की छायाप्रति पत्रावली पर दाखिल की जाये। अभियुक्त को निर्देशित किया जाता है कि वह इस आशय की अण्डरटेकिंग प्रस्तुत करें कि यदि न्यायालय को मूल ड्राईविंग लाइसेंस की आवश्यकता होगी, तो वह उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

दिनॉकः 10–11–2021

(**ज्ञानेन्द्र सिंह यादव**)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश

कक्ष सं0 7,
मुरादाबाद।

<u>न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0–7, मुरादाबाद।</u>

<u>नोटिस</u>

थानाध्यक्ष,
कोतवाली,
जनपद मुरादाबाद।

इस न्यायालय में विशेष सत्र परीक्षण सं0– 28/16, अंतर्गत धारा

28, 28ए ड्रग्स एवं कॉस्मेटिक्स एक्ट, राज्य बनाम जसवीर सिंह आदि लंबित है, जिसमें अभियुक्त बलजीत कौर काफी समय से उपस्थित नहीं हो रहा है और न्यायालय द्वारा उसके विरूद्ध कई बार आदेशिकायें जारी की गई हैं, परंतु कोई भी आदेशिका तामील अथवा अदम तामील न्यायालय को वापस प्राप्त नहीं हुई है। यह अत्यंत आपत्तिनजक है। अभियुक्त बलजीत कौर के उपस्थित न आने के कारण इस बाद में अग्रिम कार्यवाही संभव नहीं हो पा रही है।

अतः आपको आदेशित किया जाता है कि इस नोटिस के साथ संलग्न अजानतीय वारण्ट का निष्पादन अभियुक्त पर कराकर उसकी उपस्थिति न्यायालय में दिनांक तक कराना सुनिश्चित करें।

दिनॉकः 10—11—2021

(**ज्ञानेन्द्र सिंह यादव**)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश

कक्ष सं0 7, मुरादाबाद।

प्रेषित,

जेल अधीक्षक,

जिला कारागार,

बिजनौर।

विषय– <u>अभियुक्त आसिफ को जिला कारागार बिजनौर से जिला कारागार मुरादाबाद अंतरित किये जाने हेतू।</u>

महोदय,

उपरोक्त सम्बन्ध में आपको अवगत कराना है कि सत्र परीक्षण सं0–1445/2016, अंतर्गत धारा 302 भा0दं0सं0, थाना संभल, राज्य बनाम भूरा उर्फ कुन्जा आदि की पत्रावली इस न्यायालय में लंबित है। उक्त पत्रावली में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा शीघ्र निस्तारण हेतू दिशा–निर्देश प्राप्त है। उक्त सत्र परीक्षण का अभियुक्त आसिफ, जिला कारागार बिजनौर में निरूद्ध है। पत्रावली वर्तमान में बहस के स्तर पर लंबित है। अभियुक्त आसिफ के न्यायालय में उपस्थित न हो पाने के कारण उक्त सत्र परीक्षण में कोई कार्यवाही नहीं हो पा रही है, जिसके कारण पत्रावली के निस्तारण में विलम्ब कारित हो रहा है और माननीय उच्च न्यायालय के दिशा–निर्देश का अनुपालन नहीं हो पा रहा है।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप उक्त सत्र परीक्षण में निर्णय की अवधि तक अभियुक्त आसिफ को जिला कारागार बिजनौर से जिला कारागार मुरादाबाद में अंतरित करने हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें।

दिनॉकः 09–11–2021

(ज्ञानेन्द्र सिंह यादव)
अपर जिला एवं सत्र
न्यायाधीश
कक्ष सं0 7,
मुरादाबाद।

प्रेषित,

जेल अधीक्षक,

जिला कारागार,

रामपुर।

विषय– अभियुक्त भूरा उर्फ कुन्जा को जिला कारागार रामपुर से जिला कारागार मुरादाबाद अंतरित किये जाने हेतू।

महोदय,

उपरोक्त सम्बन्ध में आपको अवगत कराना है कि सत्र परीक्षण सं0–1445/2016, अंतर्गत धारा 302 भा0दं0सं0, थाना संभल, राज्य बनाम भूरा उर्फ कुन्जा आदि की पत्रावली इस न्यायालय में लंबित है। उक्त पत्रावली में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा शीघ्र निस्तारण हेतू दिशा–निर्देश प्राप्त है। उक्त सत्र परीक्षण का अभियुक्त भूरा उर्फ कुन्जा, जिला कारागार रामपुर में निरूद्ध है। पत्रावली वर्तमान में बहस के स्तर पर लंबित है। अभियुक्त भूरा उर्फ कुन्जा के न्यायालय में उपस्थित न हो पाने के कारण उक्त सत्र परीक्षण में कोई कार्यवाही नहीं हो पा रही है, जिसके कारण पत्रावली के निस्तारण में विलम्ब कारित हो रहा है और माननीय उच्च न्यायालय के दिशा–निर्देश का अनुपालन नहीं हो पा रहा है।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप उक्त सत्र परीक्षण में निर्णय की अवधि तक अभियुक्त भूरा उर्फ कुन्जा को जिला कारागार रामपुर से जिला कारागार

मुरादाबाद में अंतरित करने हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें।

दिनॉकः 09–11–2021 **(ज्ञानेन्द्र सिंह यादव)**
अपर जिला एवं सत्र
न्यायाधीश
कक्ष सं0 7,
मुरादाबाद।

सजायावी वारण्ट

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–

7,मुरादाबाद।

सत्र परीक्षण सं0–557/2017

मु0अ0सं0 22/2017
थाना–बहजोई, सम्भल।
धारा–302/34, 504/506 भा0द0सं0
सरकार बनाम हरवंश पुत्र रामफल।
निवासी– ग्राम सिंहपुर थाना

बहजोई,

जिला सम्भल।

आदेश

सत्र परीक्षण सं0– 557/2017, संबंधित मु0अ0सं0 22/17 में अभियुक्त हरवंश को आरोपित धारा 302/34 भा0द0सं0 के अपराध के आरोप में आजीवन कारावास एवं बीस हजार रूपये अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर दो वर्ष के अतिरिक्त कारावास सजा से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त हरवंश की दोनों सजायें साथ–साथ चलेंगी। अभियुक्त हरवंश द्वारा जेल में बितायी गयी अवधि सजा मे समायोजित की जायेगी।

दिनॉकः 09–11–2021

(ज्ञानेन्द्र सिंह यादव)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कक्ष सं0 7, मुरादाबाद।

सजायावी वारण्ट

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–7,मुरादाबाद।

सत्र परीक्षण सं0–557/2017

मु0अ0सं0 22/2017
थाना–बहजोई, सम्भल।
धारा–302/34, 504/506 भा0द0सं0
सरकार बनाम रामफल पुत्र रामस्वरूप।
निवासी– ग्राम सिंहपुर थाना बहजोई,
जिला सम्भल।

<u>आदेश</u>

सत्र परीक्षण सं0– 557/2017, संबंधित मु0अ0सं0 22/17 में अभियुक्त रामफल को आरोपित धारा 302/34 भा0द0सं0 के अपराध के आरोप में आजीवन कारावास एवं बीस हजार रूपये अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर दो वर्ष के अतिरिक्त कारावास सजा से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त रामफल द्वारा जेल में बितायी गयी अवधि सजा मे समायोजित की जायेगी।

दिनॉकः 09–11–2021

(**ज्ञानेन्द्र सिंह यादव**)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कक्ष सं0 7, मुरादाबाद।

सजायावी वारण्ट

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–7,मुरादाबाद।

सत्र परीक्षण सं0–27/2019

मु0अ0सं0 22/2017
थाना–बहजोई, सम्भल।
धारा–302/34, 504/506 भा0द0सं0
सरकार बनाम नन्हे पुत्र रामफल,
नि0 सिंहपुर थाना बहजोई,
जिला सम्भल।

<u>आदेश</u>

सत्र परीक्षण सं0– 27/19, संबंधित अ0सं0 22/17 में अभियुक्त नन्हे को आरोपित धारा 302/34 भा0दं0सं0 के अपराध में आजीवन कारावास एवं बीस हजार रूपये अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर दो वर्ष के अतिरिक्त कारावास की सजा से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त नन्हे द्वारा जेल में बितायी गयी अवधि सजा मे समायोजित की जायेगी।

दिनॉकः 09–11–2021

(**ज्ञानेन्द्र सिंह यादव**)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कक्ष सं0 7, मुरादाबाद।

सजायावी वारण्ट

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–7,मुरादाबाद।

सत्र परीक्षण सं0–558/2017

मु0अ0सं0 95/2017
थाना–बहजोई, सम्भल।
धारा–3/25 आयुध अधिनियम
सरकार बनाम हरवंश पुत्र रामफल।
निवासी– ग्राम सिंहपुर थाना बहजोई,
जिला सम्भल।

<u>आदेश</u>

सत्र परीक्षण सं0– 558/2017, संबंधित मु0अ0सं0 95/17 में अभियुक्त हरवंश को आरोपित धारा 3/25 आयुध अधिनियम के अपराध के आरोप में तीन साल की सजा व पांच हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त हरवंश की दोनों सजाएं साथ–साथ चलेंगी। अभियुक्त हरवंश द्वारा जेल में बितायी गयी अवधि सजा मे समायोजित की जायेगी।

दिनॉकः 09–11–2021

(ज्ञानेन्द्र सिंह यादव)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कक्ष सं0 7, मुरादाबाद।

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0–7, मुरादाबाद।

जमानत निरस्तीकरण प्रार्थना पत्र सं0– निल / 2018

जयनारायण बनाम संजय शर्मा

दिनांक 09.11.2021

आज यह पत्रावली पेश हुई।

सुना एवं अवलोकन किया।

प्रस्तुत जमानत निरस्तीकरण प्रार्थना पत्र से संबंधित सत्र परीक्षण सं0– 557 / 17, राज्य बनाम हरवंश आदि, अंतर्गत धारा 302 / 34, 504 व 506 भा0दं0सं0 में निर्णय पारित किया जा चुका है और अभियुक्त संजय शर्मा के जमानतनामे एवं बंधपत्र निरस्त किये जा चुके हैं। अतः अब इस प्रार्थना पत्र को लंबित रखने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। ऐसी स्थिति में, प्रस्तुत जमानत निरस्तीकरण प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

(ज्ञानेन्द्र सिंह यादव)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कक्ष सं0–7, मुरादाबाद।

नाम – बृजेश शर्मा

पुत्र स्व0 श्री नारायण दत्त शर्मा

पदनाम – आशुलिपिक

मो0नं0– 9411808407

जी0पी0एफ0 नं0– एल0जे0यू0 17001

डिस्पेच नं0– 335/2021

भेजने का दिनांक– 13.10.2021

जिला मुरादाबाद।

सेवा में,

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,

मुरादाबाद।

विषय–

सेवा में,

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,

मुरादाबाद।

विषय– थानों के पैरोकार द्वारा गवाही हेतु गवाहान के सम्मन न काटने एवं

सेवा में,

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,

मुरादाबाद।

विषय– थानों के पैरोकार द्वारा गवाही हेतु गवाहान के सम्मन न काटने एवं

न्यायालय में   गवाहान को उपस्थित न किये जाने के सम्बन्ध में –

महोदय,

उपरोक्त सम्बन्ध में आपको अवगत कराना है कि न्यायालय में गम्भीर अपराधों से सम्बन्धित प्रकरण साक्ष्य के स्तर पर विचाराधीन होने के बाबजूद सम्बन्धित थानों के पैरोकार द्वारा न तो गवाहान के सम्मन काटे जा रहे हैं और न ही गवाहान को साक्ष्य हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है और न ही समय से न्यायालय में उपस्थित आ कर तामीला की स्थिति से अवगत कराया जा रहा है। यह स्थिति अत्यन्त ही खेद जनक है।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि समस्त थानों के पैरोकारों को न्यायालय में प्रातः 11–00 बजे तक उपस्थित होकर साक्षीगण की तामीला रिपोर्ट प्रस्तुत करने एवं साक्षीगण को साक्ष्य हेतु आवश्यक रूप से तलब किया जाना सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में निर्देशित काने का कष्ट करें।

धन्यवाद सहित।

भवदीय,

दिनांक– 08–02–2019

{महेश सिंह कश्यप}

अपर जिला शासकीय अधिवक्ता {फौजदारी}

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश,कोर्ट सं0–7,

मुरादाबाद।

प्रेषक,

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता {फौजदारी}
न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नॅ0–7,मुरादाबाद।

प्रेषित,

पुलिस अधीक्षक,
जनपद सम्भल।

विषय– सत्र परीक्षण सं0–731/2017 राज्य प्रति नवरत्न, धारा–307,323 भा0द0सं0 एवं सत्र परीक्षण सं0–1108/2017 राज्य बनाम चन्द्रपाल अन्तर्गत धारा–307,504,506 भा0दं0सं0 में साक्षीगण को साक्ष्य हेतु <u>उपस्थित किये जाने के सम्बन्ध में</u>

महोदय,

उपरोक्त विषयक दोनों सत्र परीक्षण थाना हयातनगर जिला सम्भल से सम्बन्धित है और साक्ष्य के लिये नियत हैं। थाना हयातनगर के पैरोकार द्वारा किसी गवाह को साक्ष्य में पेश नहीं किया जा रहा है, कोई रिपोर्ट भी प्रस्तुत नही की जा रही है और किसी गवाह पर तामील भी नहीं करायी जा रही है जिसके कारण उपरोक्त सत्र परीक्षण लम्बित हैं। इस लापरवाही के लिये थाना हयातनगर के प्रभारी अधिकारी व पैरोकार को धारा–29 पुलिस एक्ट का नोटिस जारी किया जा चुका है। आप के द्वारा भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है जिससे थाना हयातनगर से सम्बन्धित उपरोक्त मुकदमों में साक्षीगण के न्यायालय में उपस्थित न होने के कारण उक्त मुकदमे लम्बित हैं।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप थाना हयातनगर के प्रभारी अधिकारी व पैरोकार के विरूद्ध जॉच करके उचित कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें तथा साथ ही उपरोक्त दोनों सत्र परीक्षण वादों में साक्षीगण को न्यायालय में पेश किया जाना सुनिश्चित करें।

<u>दिनॉक – 05–7–2018</u>

भवदीय,

(एम0 पी0 सिंह)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट नॅ0–13,मुरादाबाद।

प्रेषक,

एम0 पी0 सिंह,
अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट नॅ0–13,मुरादाबाद।

प्रेषित,

पुलिस महानिदेशक,
लखनऊ {उ0प्र0}।

विषय– सत्र परीक्षण सं0–1054/2017, अन्तर्गत ध्धरा–147,148,307 भा0दं0सं0 सरकार बनाम आसिफ आदि_ में अभियुक्त रिफाकत हुसैन की गिरफ्तारी के संबध में :–

महोदय,

निवेदन है कि उपरोक्त विषयक सत्र परीक्षण इस न्यायालय में लम्बित है जिसमें पी0डब्लू0–1 श्रीमती रिहाना का बयान अंकित किये जाने के उपरान्त धारा–319 दं0प्र0सं0 में विचारण के लिये अभियुक्त रिफाकत हुसैन को तलब किया गया था। अभियुक्त रिफाकत हुसैन न्यायालय में हाजिर नहीं आया उसकी गैर हाजरी के कारण उसके विरूद्ध गैर जमानती वारण्ट जारी किया गया परन्तु गैर जमानती वारण्ट पर थाना सिविल लाईन मुरादाबाद की पुलिस के द्वारा अभियुक्त रिफाकत हुसैन को गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश नहीं किया गया जिसके कारण दिनांक 03–7–2018 को एक पत्र एस0एस0पी0 मुरादाबाद को अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिये प्रेषित किया गया था परन्तु इसके बाबजूद अभियुक्त को गिरफ्तार करके अभी तक न्यायालय में पेश नहीं किया गया है जब कि इस प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा विशेष अनुमति याचिका सं0–4262/2018 में इस न्यायालय को यह आदेश दिया गया है कि इस सत्र परीक्षण का शीघ्र अति शीघ्र निस्तारण किया जाये और यह सुनिश्चित किया जाये कि अभियुक्तगण साक्षीगण को किसी प्रकार से प्रभावित न करें।

इस न्यायालय के द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त आदेश का अनुपालन करते हुय प्रकरण में प्राथमिकता के आधार पर सुनवाई की जा रही है और बार–बार अभियुक्त रिफाकत हुसैन के विरूद्ध गैर जमानती वारण्ट उसकी गिरफ्तार के लिये संबधित थाना सिविल लाइन,मुरादाबाद को भेजे जा रहे हैं परन्तु थाना सिविल लाइन की पुलिस के द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश नहीं किया जा रहा इस कारण प्रकरण की कार्यवाही आगे नहीं बढ़ पा रही है। अभियुक्त रिफाकत हुसैन को संबधित थाने की पुलिस द्वारा गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है इससे यह प्रकट होता है कि सम्बनिधत थाने की पुलिस द्वारा गम्भीरता पूर्वक इस न्यायालय के आदेश एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त आदेश का अनुपालन नहीं किया जा रहा है जो अत्यन्त आपत्तिजनक है।

अतः निवेदन है कि आप अपने स्तर से सभी अधीनस्थ पुलिस अधिकारीगण को इस लापरवाही के सम्बन्ध में जॉच करके उनके विरूद्ध कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें, इसके साथ ही साथ माननीय उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त आदेश का अनुपालन किये जाने के लिये अभियुक्त रिफाकत हुसैन को अविलम्ब गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया जाना सुनिश्चित करें ताकि इस प्रकरण की कार्यवाही आगे बढ़ सके।

अभियुक्त के गैर जमानती वारण्ट तथा धारा–82 दं0प्र0सं0 की उद्घोषण पुनः जारी कर दी गई है।

दिनॉक – 11–7–2018

भवदीय,

(एम0 पी0 सिंह)
अपर सत्र न्यायाधीश,

कोर्ट नॅ0–13,मुरादाबाद।

प्रतिलिपि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद एवं पुलिस महानिरीक्षक परिक्षेत्र,मुरादाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

दिनॉक – 11–7–2018 (एम0 पी0 सिंह)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट नॅ0–13,मुरादाबाद।

प्रेषक,

एम0 पी0 सिंह,
अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट नॅ0–13,मुरादाबाद।

प्रेषित,

पुलिस अधीक्षक,
जनपद सम्भल।

विषय– सत्र परीक्षण सं0–731/2017 राज्य प्रति नवरत्न, धारा–307,323 भा0द0सं0 एवं सत्र परीक्षण सं0–1108/2017 राज्य बनाम चन्द्रपाल अन्तर्गत धारा–307,504,506 भा0दं0सं0 में साक्षीगण को साक्ष्य हेतु उपस्थित किये जाने के सम्बन्ध में

महोदय,

उपरोक्त विषयक दोनों सत्र परीक्षण थाना हयातनगर जिला सम्भल से सम्बन्धित है और साक्ष्य के लिये नियत हैं। थाना हयातनगर के पैरोकार द्वारा किसी गवाह को साक्ष्य में पेश नहीं किया जा रहा है, कोई रिपोर्ट भी प्रस्तुत नही की जा रही है और किसी गवाह पर तामील भी नहीं करायी जा रही है जिसके कारण उपरोक्त सत्र परीक्षण लम्बित हैं। इस लापरवाही के लिये थाना हयातनगर के प्रभारी अधिकारी व पैरोकार को धारा–29 पुलिस एक्ट का नोटिस जारी किया जा चुका है। आप के द्वारा भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है जिससे थाना हयातनगर से सम्बन्धित उपरोक्त मुकदमों में साक्षीगण के न्यायालय में उपस्थित न होने के कारण उक्त मुकदमे लम्बित हैं।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप थाना हयातनगर के प्रभारी अधिकारी व पैरोकार के विरूद्ध जॉच करके उचित कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें तथा साथ ही उपरोक्त दोनों सत्र परीक्षण वादों में साक्षीगण को न्यायालय में पेश किया जाना सुनिश्चित करें।

दिनॉक – 05–7–2018 भवदीय,

(एम0 पी0 सिंह)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट नॅ0–13,मुरादाबाद।

प्रेषक,

एम0 पी0 सिंह,
अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट नॅ0–13,मुरादाबाद।

प्रेषित,

पुलिस अधीक्षक,
जनपद बागपत।

विषय– सत्र परीक्षण सं0–1073/2014 राज्य प्रति महीपाल सिंह में साक्षी एस0आई0 श्री मधुप कुमार थाना खेकड़ा जिला बागपत के साक्ष्य के लिये धारा–350 दं0प्र0सं0 का नोटिस तामील होने के बाबजूद उपस्थित न होने के कारण उसका वेतन रोके जाने के सम्बन्ध में –

महोदय,

उपरोक्त सत्र परीक्षण में आपके अधीनस्थ साक्षी एस0आई0 श्री मधुप कुमार थाना खेकड़ा जिला बागपत धारा–350 दं0प्र0सं0 का नोटिस तामील होने के बाबजूद न्यायालय में साक्ष्य के लिये उपस्थित नहीं हुआ है जो उसकी घोर लापरवाही को दर्शाता है जिसके सम्बन्ध में उसके विरुद्ध न्यायालय के आदेश की अवमानना किये जाने के सम्बन्ध में आपके स्तर से कार्यवाही अपेक्षित है। न्यायालय के द्वारा पारित आदेशानुसार इस लापरवाही के सम्बन्ध में उसके वेतन को रोक दिया गया है।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप उक्त एस0आई श्री मधुप कुमार के वेतन को न्यायालय के अग्रिम आदेश तक रोक दें, इसके साथ ही साथ उक्त लापरवाही के सम्बन्ध में उक्त पुलिस कर्मचारी के विरुद्ध उचित कार्यवाही करें तथा इस प्रकरण में नियत तिथि पर इस साक्षी को साक्ष्य में उपस्थित किया जाना सुनिश्चित करें। पुनः इस साक्षी के विरुद्ध गैर जमानती वारण्ट व धारा–350 दं0प्र0सं0 का नोटिस जारी कर दिया गया है।

दिनॉक – 02–7–2018

भवदीय,

(एम0 पी0 सिंह)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट नॅ0–13,मुरादाबाद।

प्रेषक,

एम0 पी0 सिंह,
अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट नॅ0–13,मुरादाबाद।

प्रेषित,

पुलिस अधीक्षक,
जनपद बदायॅू।

विषय– सत्र परीक्षण सं0–1073/2014 राज्य प्रति महीपाल सिंह में साक्षी एस0आई0 श्री लक्ष्मण चन्द्र थाना जरीफनगर जिला बदायॅू के साक्ष्य के लिये धारा–350 दं0प्र0सं0 का नोटिस तामील होने के बाबजूद उपस्थित <u>न होने के कारण उसका वेतन रोके जाने के सम्बन्ध में –</u>

महोदय,

उपरोक्त सत्र परीक्षण में आपके अधीनस्थ साक्षी एस0आई0 श्री लक्ष्मण चन्द्र थाना जरीफनगर जनपद बदायॅू धारा–350 दं0प्र0सं0 का नोटिस तामील होने के बाबजूद न्यायालय में साक्ष्य के लिये उपस्थित नहीं हुआ है जो उसकी घोर लापरवाही को दर्शाता है जिसके सम्बन्ध में उसके विरूद्ध न्यायालय के आदेश की अवमानना किये जाने के सम्बन्ध में आपके स्तर से कार्यवाही अपेक्षित है। न्यायालय के द्वारा पारित आदेशानुसार इस लापरवाही के सम्बन्ध में उसके वेतन को रोक दिया गया है।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप उक्त एस0आई श्री लक्ष्मण चन्द्र के वेतन को न्यायालय के अग्रिम आदेश तक रोक दें, इसके साथ ही साथ उक्त लापरवाही के सम्बन्ध में उक्त पुलिस कर्मचारी के विरूद्ध उचित कार्यवाही करें तथा इस प्रकरण में नियत तिथि पर इस साक्षी को साक्ष्य में उपस्थित किया जाना सुनिश्चित करें। पुनः इस साक्षी के विरूद्ध गैर जमानती वारण्ट व धारा–350 दं0प्र0सं0 का नोटिस जारी कर दिया गया है।

<u>दिनॉक – 02–7–2018</u>

भवदीय,

(एम0 पी0 सिंह)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट नॅ0–13,मुरादाबाद।

प्रेषक,

एम0 पी0 सिंह,
अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट नॅ0–13,मुरादाबाद।

प्रेषित,

पुलिस महानिदेशक,

उ0प्र0 लखनऊ।

विषय– सत्र परीक्षण सं0–06/2015, सरकार बनाम मौह0 उमर, अन्तर्गत धारा–302,201,364 भा0दं0सं0, थाना कटघर में साक्षीगण को पेश न किये जाने के सम्बन्ध में –

महोदय,

निवेदन है कि उपरोक्त विषयक सत्र परीक्षण इस न्यायालय में साक्ष्य हेतु लम्बित है, जिसमें अभियुक्त लम्बे समय से जेल में निरूद्ध है। उपरोक्त सत्र परीक्षण में दिनांक 22–5–2015 को हत्या जैसे गम्भीर अपराध का आरोप अभियुक्त के विरूद्ध विरचित किया गया था। दिनांक 22–5–2015 से लेकर आज तक अनेक तिथियॉ साक्ष्य हेतु उपरोक्त सत्र परीक्षण में नियत हो चुकी हैं परन्तु सम्बन्धित थाना कटघर के द्वारा शेष सभी साक्षीगण को न्यायालय में पेश नहीं किया जा रहा है स्थिति यहॉ तक आपत्ति–जनक है कि सम्बन्धित थाने के पैरोकार के द्वारा न्यायालय से प्राप्त किये गये गवाहान के सम्मन/वारण्ट को तामील करके न्यायालय वापस नहीं किया जा रहा है और न्यायालय से प्राप्त किये गये सम्मन/वारण्ट को तामील के लिये थाने की जी0डी0 में दाखिल करके दाखिला जी0डी0 की प्रति न्यायालय को वापस नहीं की जा रही है। थाने के प्रभारी अधिकारी के द्वारा थाने की जी0डी0 में दाखिल किये गये साक्षीगण के सम्मन/वारण्ट को तामील कराने के लिये सम्बन्धित पुलिस अधिकारी/कर्मचारी को दिये जाने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है और संबधित थाने के द्वारा साक्षीगण के सम्मन/वारण्ट गम्भीरता पूर्वक तामील करा करके न्यायालय में वापस नहीं किए जा रहे हैं।

आश्चर्य का विषय यह है कि सम्बन्धित थाने के पुलिस क्षेत्राधिकारी और जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है जिसके कारण राज्य का अहित हो रहा है और हत्या जैसे गम्भीर मामलों में या तो अभियुक्तगण अनावश्यक रूप से साक्ष्य के अभाव में जेल मे निरूद्ध हो रहे है या उनके मुकदमों का विचारण आगे नहीं बढ़ पा रहा है, ठीक ऐसी ही स्थिति इस केस की भी है जिसमें संबधित थाने के पैरोकार एवं थाने के प्रभारी अधिकारी के द्वारा न तो साक्षीगण को पेश किया जा रहा है और न ही साक्षीगण के सम्मन/वारण्ट तामील कराकर न्यायालय में वापस किये जा रहे हैं जिस कारण इस सत्र परीक्षण की कार्यवाही आगे नहीं बढ़ पा रही है जब कि मुल्जिम लगातार जेल में निरूद्ध चल रहा है।

अतः अनुरोध है कि आप अपने स्तर से सम्बन्धित पुलिस अधिकारी/कर्मचारीगण की जॉच कराकर इस सम्बन्ध में दोषी पाये गये पुलिस अधिकारीगण/कर्मचारीगण के विरूद्ध विधि अनुसार कार्यवाही अमल में लाया जाना सुनिश्चित करें एवं संबधित पुलिस अधिकारीगण को इस प्रकरण से सम्बन्धित शेष सभी साक्षीगण को न्यायालय में पेश किए जाने हेतु निर्देशित करने की कृपा करें।

दिनॉक – 03–7–2018 भवदीय,

(एम0 पी0 सिंह)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट नॅ0–13,मुरादाबाद।

प्रतिलिपि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, डी0आई0जी0 एवं आईजी0 परिक्षेत्र,मुरादाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

दिनॉक – 03–7–2018 (एम0 पी0 सिंह)

अपर सत्र न्यायाधीश,

कोर्ट नॅ0–13,मुरादाबाद।

प्रेषक,

एम0 पी0 सिंह,

अपर सत्र न्यायाधीश,

कोर्ट नॅ0–13,मुरादाबाद।

प्रेषित,

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,

मुरादाबाद।

विषय– सत्र परीक्षण सं0–218/2018, सरकार बनाम किरनदीप सिंह,अन्तर्गत धारा–376,420 भा0दं0सं0 में साक्षी श्रीमती जयन्ती दत्ता तथा अन्य साक्षीगण को थाना सिविल लाइन के प्रभारी अधिकारी द्वारा सम्मन तामील उसे न्यायालय वापस कर दिये तथा झूठी रिपोर्ट लगाये_ जाने के संबध में :–

महोदय,

उपरोक्त विषयक सत्र परीक्षण इस न्यायालय में साक्ष्य हेतु लम्बित है जिसमें माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र सं0–16346/2018 में इस मुकदमे को दिनांक 31–12–2018 तक निर्णीत करने का आदेश इस न्यायालय को दिया गया है। इसके अनुपालन में अभियुक्त के विरूद्ध आरोप विरचित करके साक्षीगण को सम्मन भेजे गये लेकिन थाना सिविल लाइन के प्रभारी अधिकारी द्वारा साक्षीगण पर सम्मन तामील नहीं कराये गये और झूठी रिपोर्ट के साथ उसे न्यायालय में वापस कर दिया गया क्योंकि सम्मन की तामीला के सम्बन्ध में थाने की कोई जी0डी0 जिसमें सम्मन थाने पर दाखिल किया गया हो और इसके पश्चात थाने की वह जी0डी0 जिसमें सम्मन तामील के लिये साक्षी पर भेजा गया हो, रिपोर्ट के साथ संलग्न नहीं है जिससे यह स्पष्ट होता है कि थाना सिविल लाइन के प्रभारी अधिकारी द्वारा अपने कर्तव्य का पालन नही किया जा रहा है और उसके अधीनस्थ कर्मचारीगण के द्वारा झूठी रिपोर्ट लगाकर न्यायालय को गुमराह किया जा रहा है और साक्षीगण को साक्ष्य में पेश नहीं किया जा रहा है जो अत्यधिक आपत्तिजनक है।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप इस सम्बन्ध में सम्बन्धित पुलिस अधिकारी के विरूद्ध विधि अनुसार उचित कार्यवाही अमल में लाये और इसके साथ ही इस केस के सभी साक्षीगण की साक्ष्य हेतु नियत दिनांक 05–7–2018 को न्यायालय में उपस्थिति सुनिश्चित करें ताकि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में उक्त सत्र परीक्षण का निर्धारित समय के अन्दर निस्तारण किया जा सके।

दिनॉक – 02–7–2018 भवदीय,

(एम0 पी0 सिंह)

अपर सत्र न्यायाधीश,

कोर्ट नॅ0–13,मुरादाबाद।

प्रतिलिपि पुलिस डी0आई0जी0 एवं आईजी0 मुरादाबाद परिक्षेत्र सूचनार्थ प्रेषित।

दिनॉक – 02–7–2018

(एम0 पी0 सिंह)

अपर सत्र न्यायाधीश,

कोर्ट नॅ0–13,मुरादाबाद।

प्रेषक,

एम0 पी0 सिंह,
अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट नॅ0–13,मुरादाबाद।

प्रेषित,

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,
मुरादाबाद।

विषय– सत्र परीक्षण सं0–1054/2017, अन्तर्गत ध्धरा–147,148,307 भा0दं0सं0 सरकार बनाम आसिफ आदि में अभियुक्त रिफाकत हुसैन की गिरफ्तारी_ के संबध में :–

महोदय,

उपरोक्त विषयक सत्र परीक्षण इस न्यायालय में लम्बित है जिसमें अभियुक्त रिफाकत हुसैन को धारा–319 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत न्यायालय द्वारा तलब किया गया था परन्तु इसके बाबजूद अभियुक्त रिफाकत हुसैन न्यायालय में उपस्थित नहीं आया है उसके विरूद्ध गैर जमानती वारण्ट जारी किया गया है। इस प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा विशेष लीव पिटीशन (दाण्डिक) नंबर–4262/2018 में दिनांक 04–5–2018 को इस प्रकरण को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र अति शीघ्र निस्तारित किये जाने के लिये आदेशित किया गया है और यह सुनिश्चित करने के लिये भी कहा गया है कि साक्षीगण को किसी प्रकार से डराया धमकाया न जाये परन्तु इस प्रकरण मे माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उपरोक्त निर्देश दिये जाने के बाबजूद संबधित थाना सिविल लाइन के प्रभारी अधिकारी द्वारा अभियुक्त रिफाकत हुसैन को गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश नहीं किया जा रहा है जिसके कारण विचारण में देरी हो रही है जब कि माननीय उच्चतम न्यायालय के उक्त आदेश का अनुपालन न्यायालय के साथ–साथ आपके द्वारा भी किया जाना है।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि संबधित थानाध्यक्ष के विरूद्ध तत्काल विधि अनुसार कार्यवाही अमल में लाये और अभियुक्त रिफाकत हुसैन को अविलम्ब गिरफतार करके नियत दिनांक 05–7–2018 को न्यायालय में उपस्थित किया जाना सुनिश्चित करें ताकि मामले की कार्यवाही आगे बढ़ सके और माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश का अनुपालन हो सके।

दिनॉक – 02–7–2018 भवदीय,

(एम0 पी0 सिंह)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट नॅ0–13,मुरादाबाद।

प्रतिलिपि पुलिस डी0आई0जी0 एवं आईजी0 मुरादाबाद परिक्षेत्र सूचनार्थ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

दिनॉक – 02–7–2018 (एम0 पी0 सिंह)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट नॅ0–13,मुरादाबाद।

सेवा में,

निरीक्षक,
पथ प्रकाश अनुभाग,
कार्यालय नगर निगम,मुरादाबाद।

विषय :– रामगॅगा विहार, फेज–द्वितीय के ए0 ब्लॉक में लगी खराब सोडियम लाईट्स व रॉड को बदलवाये जाने के सम्बन्ध में :–

मान्यवर,

उपरोक्त सम्बन्ध में आपको अवगत कराना है कि रामगॅगा विहार, फेज–द्वितीय,मुरादाबाद के ए0 ब्लॉक में लगी कुछ सोडियम

लाईट्स व रॉड्स काफी समय से खराब हैं जिनके कारण क्षेत्र में अन्धकार रहता है और आवागमन में महिलाओं आदि को असुविधा होती है व रात्रि में अन्धकार के कारण चोरी आदि का भय रहता है, इस कारण खराब हो चुकी सोडियम लाईट्स व रॉड को बदलवाकर उनके स्थान पर नयी सोडियम लाईट्स व रॉड लगवाये जाने के सम्बन्ध मे अपने अधीनस्थों को निर्देशित करने का कष्ट करें।

सादर।

दिनॉक – 27–6–2013 भवदीय,

(राजेश कुमार भटनागर)

नि0 मकान नॅ0–ए–129,रामगॅगा विहार, फेज–2,

निकट शान्ती निकेतन जू0हा0स्कूल,मुरादाबाद।